

विवरण पुस्तिका  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Department of Technical Education, Vocational**  
**& Industrial Training**



हिमाचल प्रदेश के  
राजकीय एवं निजी बहुतकनीकी में प्रथम वर्ष /लेट्रल एंट्री /प्रथम वर्ष फार्मेसी  
कोर्स में प्रवेश हेतु विवरण पुस्तिका  
(शैक्षणिक सत्र 2025-26)

Prospectus  
FOR  
ADMISSION TO  
GOVT. & PVT. POLYTECHNICS IN Ist Year/Lateral Entry /FIRST YEAR  
DIPLOMA PHARMACY COURSES  
IN HIMACHAL PRADESH  
(Academic Session - 2025-26)

सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला के प्राधिकार द्वारा जारी  
किया गया ।

Issued under the authority of Secretary (Technical Education) to the  
Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.

आवश्यक निदेश ।

- 1- प्रत्याशियों को आनलाईन आवेदन करने से पूर्व विवरण पुस्तिका (Prospectus/Information Brochure) का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना आवश्यक है ।
- 2- विवरण पुस्तिका में लिखे नियम / विनियमों में सूचना दिए बिना परिवर्तन किए जा सकते हैं ।
- 3- खिलाड़ी वर्ग के प्रत्याशियों को खेल-कूद से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की वास्तविकता की जांच हेतु अधिप्रमाणित मूल प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित तिथि को खेल-कूद विभाग द्वारा गठित सम्बन्धित विशेषज्ञों की समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा । जिसका स्थान, दिन एवं समय अलग से सूचित किया जायेगा । अध्याय- 7 को ध्यानपूर्वक पढ़ें ।
- 4- अध्याय-6 के मद संख्या 6.1 में वर्णित राजकीय बहुतकनीकी सुन्दरनगर में प्रथम वर्ष दिव्यांग/विकलांग वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित 25 स्थानों (over & above the sanctioned intake), जोकि GoI, MHRD, Centrally Sponsored Scheme की सहायता से चल रही है, के लिए चयन प्रक्रिया राजकीय बहुतकनीकी सुन्दरनगर में off-line सम्पन्न की जायेगी, जिसका दिन एवं समय विभाग द्वारा अलग से सूचित किया जायेगा ।

## SCHEDULE FOR ENTRANCE TESTS FOR THE ACADEMIC YEAR 2025-26

Sr. No.	Entrance Test	Date of Test
1.	Polytechnic Admission Test (PAT-2025)	18-05-2025 (Sunday) from 10:00 AM to 1.00 PM
2.	Lateral Entry Entrance Test (LEET-2025)	25-05-2025 (Sunday) from 10:00 AM to 12:00 Noon

### Note:

- i. Applicants are advised to fill-up the Online Application Form to participate in Polytechnic Admission Test (PAT)-2025 & Lateral Entry Entrance Test (LEET)-2025. The link & timeline to submit the Online Application Form shall be available in H.P. Takniki Shiksha Board website [www.hpotechboard.com](http://www.hpotechboard.com)
- ii. Applicant must secure 15% marks for General Category and 10% marks for reserved categories in respective tests i.e. PAT/LEET-2025 to qualify and participate in the online process for admission to 1<sup>st</sup> year diploma courses & 2<sup>nd</sup> year diploma courses through Lateral Entry for the academic session 2025-26.
- iii. The eligible candidate(s) who have not applied for PAT/LEET-2025 can also apply during 2<sup>nd</sup> round of Online Counselling and subsequent rounds of Offline Counselling as Non PAT/LEET candidates.
- iv. The applicant(s) who have not secured the qualifying marks in PAT/LEET-2025 are also eligible to apply in 2<sup>nd</sup> round of online Counselling and subsequent rounds of offline counselling, however the admission in this round shall be made first on the basis of merit of qualified PAT/LEET candidates followed by merit of marks obtained in minimum educational qualification prescribed by AICTE as specified in Chapter-4 of this Prospectus for non qualified/non PAT/LEET candidates on the basis of inter se merit.

## Toll Free No (1800-180-8025)

The facility of Toll Free Telephone Helpline number has been set-up for the convenience of General Public/Applicants to address all the queries on submission of online application form (Three Years Engineering Diploma Courses, Two Years Engineering Diploma Courses Through Lateral Entry & D-Pharmacy-2025) & Admission Counselling Process for the academic session 2025-26. The Toll Free Telephone Help line number is 1800-180-8025. The Toll Free Telephone number shall be operational on all working days from 10:00 AM to 5:00 PM.

## COUNSELLING PROCESS (चयन प्रक्रिया)

- वर्तमान में प्रदेश के अन्दर 17 सरकारी, 01 MSME टेक्नॉलाजी केन्द्र एवं 8 निजी बहुतकनीकी (05 निजी बहुतकनीकी संस्थान + 03 संस्थानों में 2<sup>nd</sup> Shift डिप्लोमा कोर्स संस्थान) हैं तथा 2 सरकारी एवं 17 निजी डी0 फार्मसी संस्थान ह, जिसकी पूर्ण सूचना इस विवरण पुस्तिका (Prospectus/Information Brochure) में उपलब्ध है।
- इन संस्थानों में चल रहे तीन वर्षीय इंजिनियरिंग डिप्लोमा एवम् आर्किटेक्ट डिप्लोमा, दो वर्षीय इंजिनियरिंग डिप्लोमा लेट्रल एंट्री माध्यम/दो वर्षीय फार्मसी डिप्लोमा में प्रवेश हेतु प्रक्रिया आनलाईन होगी, जिसके लिए आवेदकों को हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की web-site [www.hpotechboard.com](http://www.hpotechboard.com) से आवेदन करना होगा।
- आनलाईन आवेदन के लिए मांगी सूचना का पूर्ण ब्यौरा एवं फीस स्वयं या उपलब्ध Facilitation Centres की सहायता से भरी जा सकती है। Facilitation Centres की कमवार सूचना इस विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-X में संलग्न है।
- आवेदकों को आनलाईन फार्म में भरे गए मोबाईल नम्बर, ई0 मेल, login-id तथा password सही से याद/स्मरण रखना जरूरी है।
- बहुतकनीकी संस्थानों में चल रहे तीन वर्षीय इंजिनियरिंग/आर्किटेक्ट डिप्लोमा, दो वर्षीय इंजिनियरिंग डिप्लोमा लेट्रल एंट्री माध्यम तथा दो वर्षीय डिप्लोमा फार्मसी कोर्सों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है जोकि इस विवरण पुस्तिका (Prospectus) के अध्याय-4 में दर्शायी गई है। अतः सभी आवेदक, आवेदन करने से पहले इस विवरण पुस्तिका (Prospectus) का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें।
- इसके अतिरिक्त उक्त डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु अलग-अलग Admission and Counselling Schedules निर्धारित की जाती है, जोकि विभाग द्वारा अलग से समाचार पत्रों एवं हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की web-site [www.hpotechboard.com](http://www.hpotechboard.com) पर प्रकाशित होंगी, अतः इनका भी ध्यान पूर्वक अध्ययन करें।
- ऑनलाईन कांऊंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदक को संस्थान एवं व्यावसायों (Institution & Course) की कम से कम 01 प्राथमिकता भरना आवश्यक होगा, परन्तु अधिकतम प्राथमिकताओं के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी। इसके बाद फार्म को पूर्ण रूप से भरना होगा तथा आवेदक द्वारा भरी गई choice में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा तथा choices freeze हो जायेंगी, जिसका प्रिंट भी लिया जा सकता है। आवेदक का चयन उसके द्वारा भरी गई choices, रोस्टर एवं इस विवरण पुस्तिका में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं मैरिट अनुसार विभिन्न संस्थानों में सीटों की उपलब्धता होने पर किया जाएगा जिसके फलस्वरूप उसे आनलाईन सीट आबंटित की जाएगी।

- राजकीय एवं निजी बहुतकनीकी संस्थानों में चल रहे तीन बर्षीय इंजीनियरिंग /आर्किटेक डिप्लोमा एवं दो बर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा (लेट्रल एंट्री स्कीम) में प्रवेश कमशः PAT-2025 एवं LEET-2025 की मैरिट, रोस्टर एवं सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी तथा दो बर्षीय फार्मसी डिप्लोमा में प्रवेश इसकी निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको की मैरिट, रोस्टर एवं सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही होगी जो इस विवरण पुस्तिका के अध्याय-4 में दिए गए हैं । अतः सभी आवेदकों से अनुरोध है कि आनलाईन आवेदन करते समय अपनी प्राथमिकताओं (choices) को PAT-2025/LEET-2025/10+2 में प्राप्त अपने अंको को ध्यान में रखते हुए भरें, क्योंकि आवेदक द्वारा भरी गई प्राथमिकता (choice) उसके द्वारा PAT 2025/LEET-2025 / मैट्रिक एवं 10+2 में प्राप्त अंक, रोस्टर एवं बहुतकनीकी संस्थानों में सीटों की उपलब्धता पर ही कमशः प्रथम वर्ष डिप्लोमा/द्वितीय वर्ष डिप्लोमा एवं डी0 फार्मसी डिप्लोमा में प्रवेश प्रदान की जाएगी । पैट-2025/LEET-2025 / 10+2 के परिणाम निकलने के बाद आवेदक द्वारा हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की web-site (www.hpotechboard.com) में उपलब्ध आनलाईन आवेदन लिंक" में PAT/ LEET/10+2 अंक एवं अन्य सूचना जोकि आनलाईन आवेदन के लिए मांगी गई हो, का पूर्ण ब्यौरा स्वयं या उपलब्ध Facilitation Centre की सहायता से भी भरा जा सकता है ।
- सीटों का आबंटन PAT-2025/ LEET-2025/10+2 के अंकों एवं 200 point रोस्टर प्रणाली द्वारा होगा । निर्धारित कांऊसलिंग के दिन अगर आवेदक को सीट आबंटित होती है तो उस आवेदक को हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की web-site (www.hpotechboard.com) में अपने द्वारा बनाई गई login-id तथा password से अपना चयन पत्र (Selection Letter) तुरन्त प्राप्त करके इस विवरण पुस्तिका की check list ( as per Annexure-XI) या चयन पत्र में दिए गए प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रतियों के साथ जिस भी संस्थान में सीट प्राप्त हुई है, वहां पर उसे निर्धारित तिथि/समय सीमा के अन्दर संस्थान में स्वयं उपस्थित होकर, देय शुल्क जमा करवाने होंगे अन्यथा उसकी सीट रद्द कर दी जाएगी एवं अगले चरण के लिए खाली घोषित कर दी जाएगी ।
- इच्छुक आवेदक प्रथम चरण के समाप्त होने के बाद खाली बची सीटों के लिए अपनी प्राथमिकताएँ (choices) बदल सकता है । यदि किसी आवेदक को आनलाईन कांऊसलिंग के प्रथम चरण में सीट प्राप्त हो चुकी हो और संबन्धित संस्थान में प्रवेश ले चुका हो तथा द्वितीय चरण आनलाईन कांऊसलिंग को भी आवेदन करता है और द्वितीय चरण में उसे सीट प्राप्त हो जाती है तो उसकी प्रथम चरण आनलाईन कांऊसलिंग में प्राप्त सीट स्वतः रद्द हो जाएगी क्योंकि यह प्रक्रिया पूर्णतः कम्प्यूट्रीकृत हैं तथा उस आवेदक को नई आबंटित सीट के अनुसार ही निर्धारित समय में सम्बन्धित आबंटित संस्थान में दाखिला लेना होगा, अन्यथा सीट रद्द हो जाएगी तथा उसका किसी भी सीट पर अधिकार नहीं रहेगा। अगर सीटें द्वितीय चरण की आनलाईन कांऊसलिंग के उपरांत भी खाली रह जाती हैं तो इच्छुक उम्मीदवार, जोकि अध्याय चार में वर्णित निर्धारित न्यूनतम पात्रता/योग्यता रखते हैं, बाद में होने वाले आफलाईन कांऊसलिंग के चरणों में आवेदन कर सकते हैं ।
- अधूरा भरा हुआ आवेदन/फार्म स्वीकार नहीं होगा ।

- प्रथम चरण आनलाईन कांऊसलिंग के उपरांत अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो इन खाली सीटों को Inter-Se-Merit माध्यम से भरा जाएगा, जिसमें केवल हिमाचली आवेदकों को ही विचारा जाएगा तथा द्वितीय चरण कांऊसलिंग के उपरांत गैर हिमाचली भी Inter-Se-Merit प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परन्तु लेट्रल एंट्री प्रवेश हेतु गैर हिमाचली मान्य नहीं होंगे ।
- इच्छुक आवेदक प्रथम चरण कांऊसलिंग समाप्त होने के बाद खाली बची सीटों के लिए अपनी प्राथमिकताएँ (choices) बदल सकता है । यदि किसी आवेदक को आनलाईन कांऊसलिंग के प्रथम चरण में सीट प्राप्त हो चुकी हो तथा द्वितीय चरण आनलाईन कांऊसलिंग को भी आवेदन करता है और द्वितीय चरण में उसे सीट प्राप्त हो जाती है तो उसकी प्रथम चरण आनलाईन कांऊसलिंग में प्राप्त आवंटित सीट स्वतः रद्द हो जाएगी क्योंकि यह प्रक्रिया पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है तथा उस आवेदक को नई आवंटित सीट के अनुसार ही निर्धारित समय में सम्बन्धित आवंटित संस्थान में दाखिला लेना होगा, अन्यथा सीट रद्द हो जाएगी तथा उसका किसी भी सीट पर अधिकार नहीं रहेगा। यह प्रक्रिया अग्रिम कांऊसलिंग चरणों में भी लागू होगी । इसके अतिरिक्त अगर द्वितीय चरण कांऊसलिंग के उपरांत भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो इन खाली सीटों को भी अध्याय-4 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अंकों की वरियता के आधार पर केन्द्रीय आफलाईन कांऊसलिंग द्वारा भरा जाएगा ।
- पैट एवं लीट परीक्षा 2025 उत्तीर्ण उम्मीदवार जो किसी कारण प्रथम चरण आनलाईन कांऊसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह गए या आवेदन नहीं किया होगा, वह इच्छुक उम्मीदवार भी द्वितीय चरण आनलाईन कांऊसलिंग और तदोपरान्त केन्द्रीय आफलाईन कांऊसलिंग/संस्थान स्तर पर आयोजित आफलाईन कांऊसलिंग में भाग ले सकते हैं, परन्तु सीटों का आवंटन अध्याय चार में दी गई शैक्षणिक योग्यता एवं नियमानुसार ही किया जाएगा ।
- जो उम्मीदवार ईजिनियरिंग डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश लेने हेतु जरूरी पैट एवं लीट परीक्षा 2025 में भाग नहीं ले पाए, वे इच्छुक उम्मीदवार भी द्वितीय चरण आनलाईन कांऊसलिंग और तदोपरान्त केन्द्रीय आफलाईन कांऊसलिंग/संस्थान स्तर पर आयोजित आफलाईन कांऊसलिंग में भाग ले सकते हैं, परन्तु सीटों का आवंटन अध्याय चार में दी गई शैक्षणिक योग्यता एवं नियमानुसार ही किया जाएगा ।

1<sup>st</sup> ROUND OF ONLINE ADMISSION COUNSELLING PROCESS  
(प्रथम चरण)

- प्रथम चरण ऑनलाईन कांऊंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की web-site ([www.hpotechboard.com](http://www.hpotechboard.com)) में जाकर संबंधित ऑनलाईन फार्म में संस्थान एवं व्यावसायों (Institution & Course) की कम से कम 01 प्राथमिकता भरना आवश्यक होगा, परन्तु अधिकतम प्रथमिकताओं के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी । इसके बाद फार्म को पूर्ण रूप से भरना होगा तथा आवेदक द्वारा भरी गई choices freeze हो जायेंगी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । इस फार्म का प्रिंट भी लिया जा सकता है । आवेदक का चयन उसके द्वारा भरी गई choices, रोस्टर एवं इस विवरण पुस्तिका में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं मैरिट अनुसार विभिन्न संस्थानों में सीटों की उपलब्धता होने पर किया जाएगा जिसके फलस्वरूप उसे आनलाइन सीट आबंटित की जाएगी । फिर आवेदक को हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की web-site में अपने द्वारा बनाई गई login-id तथा password से अपना चयन पत्र प्राप्त करके इस विवरण पुस्तिका की check list ( as per Annexure-XI) में दिए गए प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रतियों के साथ जहां सीट प्राप्त हुई है, वहां पर उसे निर्धारित तिथि/समय सीमा के अन्दर संस्थान में स्वयं उपस्थित होकर, देय शुल्क जमा करवाने होंगे अन्यथा उसकी सीट रद्द कर दी जाएगी एवं अगले चरण के लिए खाली घोषित कर दी जाएगी ।

2<sup>nd</sup> ROUND OF ONLINE ADMISSION COUNSELLING PROCESS  
(द्वितीय चरण)

- अगर प्रथम चरण आनलाईन कांऊंसलिंग में राजकीय एवं निजी बहुतकनीकी एवं फार्मैसी संस्थानों में सीटें खाली रहती हैं तो द्वितीय चरण में आनलाईन कांऊंसलिंग द्वारा ही सीटें भरी जायेंगी जिसके लिये पहले से **आवेदन किए अभ्यर्थी** को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन योग्य इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी choices बदलने का अवसर उपलब्ध होगा।
- जिन आवेदकों को प्रथम चरण में आनलाईन कांऊंसलिंग द्वारा सीट का आबंटन कर दिया गया है तथा अपनी आबंटित सीट से संतुष्ट नहीं है, तो वे भी द्वितीय चरण की आनलाईन कांऊंसलिंग में भाग लेने के लिये अपनी प्राथमिकताएं पुनः भर सकते हैं। इस प्रकार आवेदन करने वाले प्रार्थी को अगर द्वितीय चरण आनलाईन कांऊंसलिंग द्वारा पुनः सीट आबंटित हो जाती है, तो उसकी पहले चरण में आबंटित सीट स्वयं ही रद्द हो जायेगी तथा उस पुरानी सीट पर उस आवेदक का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। आवेदक को नई आबंटित सीट के अनुसार सम्बन्धित संस्थान में विवरण पुस्तिका की चेक लिस्ट/Selection letter में दर्शाये गये सभी प्रमाण-पत्रों की मूल एवं छाया प्रतियाँ सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वयं उपस्थित होकर दाखिला लेना होगा अन्यथा उसकी यह सीट भी रद्द कर दी जाएगी एवं सीट को अगले चरण के लिए खाली समझा जायेगा।
- जिन आवेदकों को प्रथम चरण आनलाईन कांऊंसलिंग में सीट आबंटित नहीं हुई है, वे भी द्वितीय चरण हेतु अपनी प्राथमिकता/Choices बदल सकते हैं अन्यथा उस आवेदक की प्रथम चरण आनलाईन कांऊंसलिंग के लिए भरी गई प्राथमिकता ही द्वितीय चरण आनलाईन कांऊंसलिंग के लिए मान्य होगी तथा उसके अनुसार ही सीट आबंटित होगी। इस चरण में कांऊंसलिंग inter se merit आधार पर होगी, जिसमें केवल हिमाचली आवेदकों को ही विचारा जाएगा। इस चरण के बाद दूसरे राज्यों के बच्चों को भी inter-se-merit माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा, **परन्तु यह लेट्रल इंट्री प्रवेश हेतु मान्य नहीं होगा।**
- पैट एवं लीट परीक्षा **2025** उर्तीण उम्मीदवार जो किसी कारण प्रथम चरण आनलाईन कांऊंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह गए या आवेदन नहीं किया होगा, वह भी इस चरण हेतु आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
- जो उम्मीदवार ईजिनियरिंग डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश लेने हेतु जरूरी पैट एवं लीट परीक्षा **2025** में भाग नहीं ले पाए, वे उम्मीदवार भी द्वितीय चरण आनलाईन कांऊंसलिंग में आवेदन कर सकते हैं, परन्तु सीटों का आबंटन अध्याय चार में दी गई शैक्षणिक योग्यता एवं नियमानुसार ही किया जाएगा।
- इसी तरह जिन योग्य उम्मीदवारों ने डिप्लोमा फार्मैसी के प्रथम चरण आनलाईन कांऊंसलिंग हेतु आवेदन नहीं किया था, वे उम्मीदवार भी द्वितीय चरण या बाद में आयोजित चरणों हेतु आवेदन कर सकते हैं।

## 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> ROUND (तृतीय एवं चतुर्थ चरण) Centralized Offline Counselling

- अगर बहुतकनीकी संस्थानों में द्वितीय चरण आनलाईन कांऊसलिंग प्रक्रिया के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो तृतीय एवं चतुर्थ चरण केन्द्रीय आफलाईन कांऊसलिंग का आयोजन राजकीय बहुतकनीकी सुन्दरनगर में डिप्लोमा ईंजिनियरिंग एवं आर्किटेक्ट कोर्स हेतु, तथा राजकीय महिला बहुतकनीकी कण्डाघाट में डिप्लोमा फार्मसी हेतु, किया जाएगा तथा फिर भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें संस्थान स्तर पर **Spot Counselling** द्वारा इस विवरण पुस्तिका में निर्धारित नियमों अनुसार भरा जाएगा। कांऊसलिंग **schedule** की निर्धारित तिथियां/समय निदेशक तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश द्वारा समाचार पत्रों तथा तकनीकी शिक्षा बोर्ड की **web-site** [www.hpotechboard.com](http://www.hpotechboard.com) में अलग से प्रकाशित/सूचित किया जाएगा ।
- इसके अतिरिक्त जिन उम्मीदवारों ने अध्याय-4 में वर्णित योग्यता अनुसार **PAT-2025/ LEET-2025/Pharmacy-2025** के लिये आवेदन नहीं किया था, ऐसे इच्छुक उम्मीदवार भी राजकीय एवं निजी बहुतकनीकी में चल रहे तीन वर्षीय ईंजिनियरिंग/आर्किटेक डिप्लोमा एवं फार्मसी संस्थानों में चल रहे दो वर्षीय डिप्लोमा फार्मसी में प्रवेश लेने के लिए तृतीय चरण हेतु निर्धारित समय अवधि अनुसार आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस चरण में भी सीटों का आबंटन विवरण पुस्तिका के अध्याय चार में सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही प्रवेश होगा । कृपया विवरण पुस्तिका-**2025** का अवलोकन ध्यान पूर्वक करें।

## **ADMISSION UNDER THE MANAGEMENT QUOTA SEATS**

निजी बहुतकनीकी संस्थानों द्वारा भरी जाने वाली मैनेजमेंट कोटे की सीटें भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही भरी जाएगी, जोकि इस विवरण पुस्तिका के अध्याय-4 में वर्णित है । इस प्रक्रिया के लिए निजी संस्थानों द्वारा की जाने वाली प्रत्येक admission का ब्यौरा, जिसमें उम्मीदवार के particulars, photo, signature, fee इत्यादि की पूर्ण जानकारी दी जाएगी, को web-site ([www.hpotechboard.com](http://www.hpotechboard.com)) पर दिए गए Admission Portal पर भरना होगा तथा प्रवेश की अन्तिम तिथि के उपरांत पूरा विवरण website से download एवं duly Authenticate करके हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को भेजना होगा तथा उसकी एक प्रति निदेशालय तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश (सुन्दरनगर) को भी प्रेषित करनी होगी ।

# अवश्य पढें

## "अतिआवश्यक सूचनाएं एवं निर्देश"

1. समस्त प्रत्याशियों से अनुरोध है कि कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले विवरण पुस्तिका (Prospectus) का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें।
2. राजकीय एवं निजी बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु सभी आवेदक हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के web-site पर उपलब्ध आनलाईन काउंसलिंग फार्म में सही सूचना भरें।
3. आनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा सीट आबटन होने के उपरान्त सभी उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि में check-list/selection letter में दिए गए सभी मूल एवं छायाप्रति दस्तावेजों सहित, सम्बन्धित संस्थान की प्रवेश समिति (admission committee) के समक्ष स्वयं प्रस्तुत होकर सभी देय शुल्क जमा करवाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर आवंटित सीट सम्बन्धित संस्थान द्वारा खाली घोषित कर दी जाएगी तथा अगली काउंसलिंग में वरियता के आधार पर भर दी जाएगी।
4. यदि कोई प्रत्याशी आवंटित सीट को छोड़ना चाहता है तो उसे लिखित रूप में सम्बन्धित संस्थान में नियुक्त चेयरमैन एडमीशन कमेटी/ प्रवेश कमेटी को आवेदन करना अनिवार्य होगा। सीट छोड़ने बारे, अंतिम काउंसलिंग से पहले यदि प्रत्याशी, चेयरमैन एडमीशन कमेटी/प्रवेश कमेटी को लिखित आवेदन करता/करती है, तो उसके द्वारा जमा किए गए शुल्क AICTE के Public Notice, Advt. No. AICTE/Legal/04 (01) /2007 & Advt. No. DPG/06(02)/2009 के अनुसार सम्बन्धित संस्थान द्वारा वापिस कर दिए जाएंगे। यदि आवंटित सीट लिखित आवेदन द्वारा अन्तिम काउंसलिंग के उपरान्त छोड़ी जाती है, तो Refundable Securities को छोड़ कर, अन्य कोई भी शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा। लेकिन अंतिम काउंसलिंग के बाद छोड़ी गई सीट यदि निजी संस्थानों द्वारा संपन्न काउंसलिंग में, प्रवेश हेतु निर्धारित Cut off Date तक भर दी जाती है, तो निजी संस्थान प्रबन्धन द्वारा प्रत्याशी को AICTE के Public Notice, Advt. No. AICTE/Legal/04 (01) /2007 & Advt. No. DPG/06(02)/2009 के अनुसार ही शुल्क वापिस किए जाएंगे।
5. हिमाचल प्रदेश के सभी राजकीय व निजी बहुतकनीकी संस्थानों में चल रहे इंजीनियरिंग, फार्मसी एवं आर्किटेक्चर कोर्सों के लिए प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन (Online) सम्पन्न होगी, जिसके लिए online किया गया आवेदन ही मान्य होगा।
6. राजकीय व निजी बहुतकनीकी संस्थानों में अध्याय-4 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रवेश सम्पन्न होगा। खेल कूद वर्ग के अंतर्गत विवरण पुस्तिका के अध्याय-7 शीर्षक: "खिलाडी प्रत्याशी का प्रवेश" में वर्णित स्पोर्ट्स मैरिट के आधार पर प्रवेश सम्पन्न किया जायेगा।
7. प्रथम चरण online counselling में राजकीय बहुतकनीकी एवं फार्मसी संस्थानों में प्रवेशित प्रत्याशी, यदि Subsequent Counselling में संस्थान/ब्रांच बदली करता/करती है तो उससे दोबारा शुल्क नहीं लिए जाएंगे। लेकिन निजी संस्थानों में संस्थान बदलने की स्थिति में सभी शुल्क प्रत्याशी को पुनः जमा करवाने होंगे।
8. Online counselling में आवंटित सीट यदि किसी कारण से प्रत्याशी छोड़ देता है तो इस प्रकार खाली हुई सीट को Next round of Online Counselling में ही अंकों की वरियता के आधार पर भरा जाएगा।

9. विभागीय प्रत्याशियों (Departmental Candidates) को अध्याय-4 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित किया जाएगा तथा उन्हें online आवेदन करना होगा। ऐसे प्रत्याशियों को विभाग का Sponsorship Letter (Proforma attached as per Appendix - VIII) काऊंसलिंग के समय चयन समिति को प्रस्तुत/जमा करना होगा।
10. प्रवेश कार्यक्रम के दौरान यदि किसी प्रत्याशी को किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत होती है तो उसकी सूचना तुरन्त सक्षम अधिकारी को देने की जिम्मेदारी उस प्रत्याशी की होगी। प्रवेश कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरांत इस हेतु उसे कोई अधिकार नहीं होगा।
11. सभी प्रवेशित छात्रों को हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के साथ बोर्ड के नियमानुसार तथा निर्धारित समयावधि में सम्बन्धित बहुतकनीकी संस्थान के माध्यम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
12. जिन प्रत्याशियों ने Foreign School/Board/University or any other University/Board/Bodies of this Country से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें नियमित प्रवेश से पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा की समकक्षता का प्रमाण पत्र हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्राप्त करना होगा। (हि0शि0बो0 (2)सा0/समकक्षता प्रमाण पत्र/09.6033 दिनांक 30.3.2009).
13. ट्यूशन फीस वेवर स्कीम (Tuition Fee Waiver Scheme) जिन बच्चों के माता-पिता की वार्षिक आमदनी सभी स्त्रोंतों से 8.00 लाख रुपये से कम हो वे ट्यूशन फीस वेवर स्कीम (Tuition Fee Waiver Scheme) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का काऊंसलिंग सम्पूर्ण होने के उपरांत न तो संस्थान और न ही कोर्स बदला जाएगा। यह स्कीम आर्किटेक्ट डिप्लोमा कोर्स तथा Lateral Entry के उम्मीदवारों के लिए मान्य नहीं होगी।
14. LIC Group Insurance of the Students pursuing Technical Education. Premium of Rs. 118/- inclusive of service Tax have to be deposited in the office of Institute where the student has been admitted for the LIFE COVER of Rs. 100,000/- per student per annum as per reference dated 30-12-2024 received from Branch Manager (P&GS), LIC of India, Unit Shimla (H.P.). As per scheme all students aged between 08 to 30 Years are eligible to be covered and this life insurance scheme covers death due to any reason.
15. IMPORTANT –Ragging, inside / outside the institution, is an offence. As per the Himachal Pradesh Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act, 2009, every offence under this Act shall be cognizable, non-bailable and compoundable with the permission of court. If any student is found indulging in ragging activities directly / indirectly, strict action will be taken against him/her as per law. The Anti Ragging Toll Free Help Line Nos' of MHRD (Govt. of India) is 1800-180-5522 (working 24x7) and e-mail address is helpline@antiragging.in
16. In case any student is aggrieved by any decision/orders passed by the Principal, the aggrieved student may file an appeal to the Director Technical Education within 10 days. The Director Technical Education, H. P. shall decide all such appeals within 10 days from the date of receipt of appeal and decision shall be communicated to the aggrieved student under intimation to the concerned Principal. However, if the aggrieved student is still not satisfied with the decision, a final appeal can be filed by the aggrieved students to the Secretary (Technical Education) to the Govt. of Himachal Pradesh within 10 days from the receipt of decision and thereafter the decision/orders passed by the Secretary (Technical Education) shall be final and binding on the aggrieved student and Institution.

17. Those students who fail to qualify minimum 50% of theory subjects in 3<sup>rd</sup> & higher Semesters examination for three years engineering diploma and 5<sup>th</sup> and higher semester examination for two years engineering diploma through lateral entry scheme will not be promoted to the next higher semester. This is in compliance of the decision taken by H. P. Takniki Shiksha Board in its 51<sup>st</sup> meeting held on 08-01-2015 in supplementary item No. 3 vide which it has been mentioned that for future batches the decision of 49<sup>th</sup> meeting of Board under item no. 5 will be implemented with immediate effect (Auth. HTB/Genl/51<sup>st</sup>B.M./11/2015-383, dated 20-01-2015) and further letter no. 18448-18487 dated 27-02-2015.
18. Fee paid in respect of a candidate in the beginning of the semester, who could not clear 50% of the subjects and as a result of which he/she got detained, shall be adjusted in the next year when he/she is re-admitted in the same semester.

In case of D. Pharmacy course, the candidates who have been debarred to attend the classes of 2<sup>nd</sup> year as per PCI/HPTSB norms, the fees charged in 2<sup>nd</sup> year shall be adjusted in the next year when he/she is re-admitted in the same class.

19. The Govt. has launched Skill Development Allowance Scheme-2013 and the same is applicable to the students admitted in diploma courses. The students eligible as per the scheme can avail this facility after depositing the necessary copies of documents as per the advice of the concerned Principal of the institution.
20. **Beti Hai Anmol:** Under this scheme one seat is reserved in each Institution & each course within sanctioned intake as per the approval accorded by the Government of Himachal Pradesh [Auth. EDN(TE)C(13)1/2009, dated 25-09-2014]. The Parents have to submit an undertaking that they have only single girl child and have no other living son/daughter. The scheme is applicable to bonafide/domicile Himachali candidates only.
21. Two rounds of online counselling, Two rounds of centralized offline counselling shall be conducted and if the seats remain vacant after centralized offline counselling, then remaining seats shall be filled-up at Institution level spot counselling as per schedule.
22. For speedy communication of admission status of applicant, facility of sending SMS/e.mail to the candidate regarding his/her admission status has been made available for the academic session 2025-26.

Disclaimer: Though utmost **care** shall be taken to ensure sending of the SMS/e.mail to the applicants, however the possibility of last minute failure due to any unforeseen circumstances can't be ruled out. In such an eventuality the department shall not be responsible for any lapses occurring on above account or non-receipt of SMS/e-mail or any inadvertent information error(s) that might have crept in the information being supplied through computer systems & communication channels. The applicant is further advised to cross check the veracity of his/her exact admission status through the website of H.P. Takniki Shiksha Board which is updated from time to time.

23. It is informed that the State Govt. vide Notification No. EDN (TE)A(4)12/2013 dated 22/01/2018 has declared that diploma courses of three years duration in various disciplines indicated in ~~परिचय~~—XII pursued after matriculation from Polytechnics under the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh and Himachal Pradesh Technical Board shall be equivalent to 10+2 in Arts Stream for the purpose of higher education and employment in various Departments of the State of Himachal Pradesh.

24. The examination shall be open to any student:
- i. He/she has to attend not less than 75% of the total lectures and tutorials delivered and participated in not less than 75% of the total number of practical in laboratories and other work of a practical nature.
  - ii. If a candidate does not secure 40% marks in internal assessment in each subject, he may be detained.
25. The candidate shall be declared to have passed the examination if he/she obtains not less than 40% marks in each of the papers of the written examination and must secure 40% in internal assessment. However, the student must secure not less than 50% in aggregate in Board examination in whole semester. However, the provision of 40% internal assessment shall not be applicable in case of D. Pharmacy students.
26. The re-evaluation form shall be submitted by the applicant within 14 days after the declaration of result (including the day of result declaration). Further the result of re-evaluation shall be declared within next 14<sup>th</sup> working days by H.P. Takniki Shiksha Board Dharamshala.
27. The meeting with the parents/guardian of each student is required to be conducted in every semester to give the feedback of their son/daughter. Besides this, if the activity of the student(s) is not found satisfactory, the intimation is to be sent to their parents/guardians through telephonic/message by the Institution concerned on priority basis.
- 28.** In 2<sup>nd</sup> round of counselling, all seats shall be filled up on the basis of inter-merit and only Himachali candidates are to be considered in this round. However, after 2<sup>nd</sup> round if seat(s) remain vacant then other state candidates may also be considered in inter-merit admission, **but other State candidate(s) shall not be eligible for admission under the Lateral Entry Scheme.**
29. State Govt. vide letter No. EDN(TE)B(15)23/2019 dated 21/12/2019 has conveyed the approval to reserve 01 seat in each course within sanctioned intake in all Polytechnics for widow candidate(s). The scheme is applicable to bonafide/domicile Himachali candidates only.
30. In Architecture Assistantship diploma course, there is no provision for lateral entry for admission in 2<sup>nd</sup> year of 3 year diploma in Architecture/Architectural Assistantship course as informed by Shri R. K. Oberoi, Registrar, COA vide letter No. CA/5/Academic-Diploma dated 16/02/2023. COA has also informed that Council of Architecture does not have any Tuition Fee Waiver (TFW) scheme under which admission over the sanctioned intake is permitted and advised to admit student within the sanctioned intake approved by the Council.

**GOVT. AND PVT. POLYTECHNICS & PHARMACY INSTITUTIONS IN HIMACHAL PRADESH FOR THE SESSION 2025-26 (SUBJECT TO APPROVAL OF AICTE, PCI AND AFFILIATION OF H.P. TAKNIKI SHIKSHA BOARD.**

**GOVERNMENT POLYTECHNICS/INSTITUTIONS**

Sr. No.	Name and Address of the Institute	Website/Email	Year of Establishment	Contact Numbers
1.	Govt. Polytechnic Sundernagar, Distt. Mandi H.P.	Website: <a href="http://www.gpsundernagar.edu.in">www.gpsundernagar.edu.in</a> Email: <a href="mailto:gpsnr-hp@nic.in">gpsnr-hp@nic.in</a>	1959	01907-266778
2.	Govt. Polytechnic Hamirpur, Distt. Hamirpur H.P.	Website: <a href="http://www.gph.edu.in">www.gph.edu.in</a> Email: <a href="mailto:gp-ham-hp@gov.in">gp-ham-hp@gov.in</a>	1963	01972-258509
3.	Govt. Polytechnic Rohru, Distt. Shimla H.P.	Website: <a href="http://www.gprohru.org">www.gprohru.org</a> email: <a href="mailto:gprohru@rediffmail.com">gprohru@rediffmail.com</a>	1984	01781-240102
4.	Govt. Polytechnic for Women Kandaghat, Distt. Solan H.P.	Website: <a href="http://www.gpcwkandaghat.nic.in">www.gpcwkandaghat.nic.in</a> E-mail : <a href="mailto:gpwkandaghat@gmail.com">gpwkandaghat@gmail.com</a>	1984	01792-256179
5.	Govt. Polytechnic Kangra, Distt. Kangra H.P.	Website: - <a href="http://www.gpkangra.edu.in">www.gpkangra.edu.in</a> Email: <a href="mailto:gpckangra@gmail.com">gpckangra@gmail.com</a>	1992	01892-265025 01892-262285
6.	Dr. B. R. Ambedkar Govt. Polytechnic Ambota, Distt. Una H.P.	Website: - <a href="http://www.gpambota.com">www.gpambota.com</a> Email: - <a href="mailto:principalgpambota@gmail.com">principalgpambota@gmail.com</a>	1995	01976-242222
7.	Govt. Millenium Polytechnic Chamba, Distt. Chamba H.P.	Website: <a href="http://www.gmpchamba.org">www.gmpchamba.org</a> Email: <a href="mailto:gmpcba@gmail.com">gmpcba@gmail.com</a>	2007	01899-223698
8.	Rajiv Gandhi Govt. Polytechnic Banikhet, Distt. Chamba H.P.	Website :- <a href="http://www.gpbanikhet.com">www.gpbanikhet.com</a> Email: <a href="mailto:gpbanikhet@gmail.com">gpbanikhet@gmail.com</a>	2007	01899-254500 94181-97127
9.	Govt. Polytechnic Talwar (Jaisinghpur), Distt. Kangra H.P.	Website: - <a href="http://www.gptalwar.in">www.gptalwar.in</a> Email: <a href="mailto:gptalwar08@gmail.com">gptalwar08@gmail.com</a>	2008	01894-227009
10.	Atal Bihari Vajpayee, Govt. Institute of Engineering & Technology (Polytechnic) Pragtinagar, Distt. Shimla H.P.	Website: <a href="http://abvgiet.org">abvgiet.org</a> Email: <a href="mailto:abvgiet.2011@gmail.com">abvgiet.2011@gmail.com</a>	2011	01783-253919
11	Govt. Polytechnic Paonta Sahib, Village & P.O. Dhaula Kuan, Tehsil Ponta Sahib, Distt. Sirmour (HP)	Website: <a href="http://www.gppaonta.org">www.gppaonta.org</a> E-mail:- <a href="mailto:gppaonta@gmail.com">gppaonta@gmail.com</a>	2013	01704-203263 9418012231
12	Govt. Polytechnic Kullu at Seo-Bag, Distt. Kullu (HP)	Web:- <a href="http://www.gpkullu.in">www.gpkullu.in</a> Email:- <a href="mailto:gpkul-hp@nic.in">gpkul-hp@nic.in</a>	2013	01902-230006
13	Param Veer Chakra Naib Subedar Sanjay Kumar, Govt. Polytechnic Bilaspur, Vill & P.O. Kalol, Tehsil Jhanduta, Distt. Bilaspur ( H.P.)	Website: <a href="http://www.gpbilaspur.in">www.gpbilaspur.in</a> Email: <a href="mailto:gpcbilaspur@gmail.com">gpcbilaspur@gmail.com</a>	2013	01978-262262
14	*Govt. Polytechnic Kinnaur Distt. Kinnaur (HP)	Website: <a href="http://www.gpkinnaur.edu.in">www.gpkinnaur.edu.in</a> Email: <a href="mailto:gpkinnaur@rediffmail.com">gpkinnaur@rediffmail.com</a>	2013	01781-240102
15	*Govt. Polytechnic, Lahaul Spiti at Udaipur (HP)	Website: <a href="http://www.gpudaipur.org.in">www.gpudaipur.org.in</a> Email :- <a href="mailto:gpudaipur@gmail.com">gpudaipur@gmail.com</a>	2013	01907-266411
16	Govt. Polytechnic for Women at Rehan, Distt. Kangra, H.P.	Website: <a href="http://www.gpwrehan.edu.in">www.gpwrehan.edu.in</a> Email <a href="mailto:principalgpwehan@gmail.com">principalgpwehan@gmail.com</a>	2021	01893-252777
17	Govt. Polytechnic Janduar, Distt. Kangra, H.P.	Website: <a href="http://gpjandaur.edu.in">gpjandaur.edu.in</a> Email: <a href="mailto:gpjandaur@gmail.com">gpjandaur@gmail.com</a>	2024	94180-37478 82193-37285

**NOTE:** \*The classes of 02 Govt. Polytechnics Kinnaur and Lahaul & Spiti are running in their mentor institutes namely Govt. Polytechnics at Rohru and Sundernagar respectively and the classes shall be shifted as and when permanent actual sites/AICTE approved site/ any other campus is made available to the Department by the State Govt.

**Institute working under the Administrative Control of Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Govt. of India, New Delhi**

Sr. No.	Name and Address of the Institute	Website/Email	Year of Establishment	Contact Numbers
1.	MSME Technology Centre Baddi, Distt. Solan, H.P.	Website: <a href="http://www.msme tcbaddi.org">www.msme tcbaddi.org</a> email: <a href="mailto:trainingmsme tcbaddi@gmail.com">trainingmsme tcbaddi@gmail.com</a>	2022	01795-299001

**PRIVATE POLYTECHNICS/INSTITUTIONS**

Sr No	Name and Address of the Institute	Website/Email	Year of Establishment	Contact Numbers
1.	Green Hills Polytechnic Kumarhatti, Distt. Solan H.P.	Website:- <a href="http://www.ghpc.co.in">www.ghpc.co.in</a> E.Mail-principalghp@gmail.com	2007	01792-262524, 262504
2.	K.C.Polytechnic, Pandoga Uparla, Tehsil & Distt. Una H.P.	Website:- <a href="http://www.kc institutes.in">www.kc institutes.in</a> Email:-kcppandoga@gmail.com	2009	9805095105
3.	Dreamz Polytechnic, Vill-Khilra, P.O. Meramasit, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi H.P.	Website:- <a href="http://www.dreamzedu.in">www.dreamzedu.in</a> Email:- dreamzpoly@gmail.com	2009	01905-248598, 248600
4.	SIRDA Polytechnic Naulakha, Vill. Troat, P.O. Kanaid Bazar, Sundernagar, Distt. Mandi H.P.	Website: <a href="http://www.sirda.in">www.sirda.in</a> Email:- <a href="mailto:sirda.edu@gmail.com">sirda.edu@gmail.com</a>	2009	01907-262512, 263412
5.	L.R. Polytechnic, Vill. Jabli-Kyar, P.O. Oachghat Solan (H.P.)	Website:- <a href="http://www.lrinstitutes.com">www.lrinstitutes.com</a> Email:- <a href="mailto:lrpolytechnic2010@gmail.com">lrpolytechnic2010@gmail.com</a>	2010	01792-640235 01792-252845
<b>Names of Pvt. Institutes running Diploma Courses in 2<sup>nd</sup> Shift.</b>				
1.	Himachal Institute of Engineering & Technology, Shahpur, Kangra H.P.	Website:- <a href="http://www.hiet.co.in">www.hiet.co.in</a> Email:- <a href="mailto:info@hiet.co.in">info@hiet.co.in</a>	2012	9816099552 9805508552
2.	Vaishno College of Engineering, Thapkaur, Kangra H.P.	Website:- <a href="http://www.vaishno.edu.in">www.vaishno.edu.in</a> Email:- <a href="mailto:principal@vaishno.edu.in">principal@vaishno.edu.in</a>	2012	01893-233400, 233444
3.	T.R. Abhilashi, Institute of Engineering & Technology, H.O. Nerchowk, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.)	Website: <a href="http://www.tramiet.in">www.tramiet.in</a> Email:- <a href="mailto:abhilashigroup@gmail.com">abhilashigroup@gmail.com</a>	2014	9418006520 9418056520

**GOVT. & PVT. POLYTECHNICS/INSTITUTIONS RUNNING DIPLOMA PHARMACY COURSE FOR THE SESSION -2025-26**

**GOVERNMENT DIPLOMA PHARMACY INSTITUTIONS**

Sr. No.	Name and Address of the Institute	Website/Email	Year of Establishment	Contact Numbers
1.	Govt. Polytechnic Rohru, Distt. Shimla H.P.	Website: <a href="http://www.gprohru.org">www.gprohru.org</a> email: <a href="mailto:gprohru@rediffmail.com">gprohru@rediffmail.com</a>	1984	01781-240102
2.	Govt. Polytechnic for Women Kandaghat, Distt. Solan H.P.	Website: <a href="http://gpcwkandaghat.nic.in">gpcwkandaghat.nic.in</a> E-mail: <a href="mailto:gpcwkandaghat@gmail.com">gpcwkandaghat@gmail.com</a>	1984	01792-256179

**PRIVATE DIPLOMA PHARMACY INSTITUTIONS**

Sr. No.	Name and Address of the Institute	Website/Email	Year of Establishment	Contact Numbers
1.	Shanti Niketan Institute of Pharmacy, Ratti, Tehsil Sadar, Distt. Mandi H.P.	Website: <a href="http://www.shantiniketaneducationsociety.org">www.shantiniketaneducationsociety.org</a> Email: <a href="mailto:sureshthakur46@gamil.com">sureshthakur46@gamil.com</a>	2006	01905-243791 94180-10791
2.	K.C.Polytechnic, Pandoga Uparela, Tehsil & Distt. Una H.P.	Website:- <a href="http://www.kc institutes.in">www.kc institutes.in</a> Email:-kcppandoga@gmail.com	2009	01975-241111,

3.	SIRDA Polytechnic Naulakha, Vill. Troat, P.O. Kanaid Bazar, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi H.P.	Email:-sirda.edu@gmail.com Website: www.sirda.in	2009	01907-263512, 263412
4.	Himalyan Institute of Pharmacy, Near Suketi Fossil Park Road, Kala Amb, Distt. Sirmour H.P.	Website: www.himalyaninstitutions.com Email:principal.pharamcyhim@gmail.com	2012	01702254101
5.	Laureate Institute of Pharmacy, Kathog, Tehsil Dehra, Distt. Kangra, H.P.	Email: laureatepharmacy@gmail.com contactlaurete@gmail.com Website:www.laureateinstitute.in	2018	01970-223000
6.	Shiva Institute of Pharmacy, P.O. Chandpur, Tehsil & Distt. Bilaspur, H.P.	siethp@gmail.com www.siethp.com	2018	01978-209560-61,
7.	Dreamz College of Pharmacy, Vill. Luhanoo Kanetain, PO Meramasit, Sundernagar, Mandi, H.P.	Website:- www.dreamzedu.in Email:- dreamzpoly@gmail.com	2019	01905-248598, 248600
8.	Vinayaka Institute of Pharmacy, Village Saithal, P.O. Rajwari, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P.	Website: www.vinayakainstituteofpharmacy.com Email vinayakaipharmacy@gmail.com	2019	88945-30034 7018038737
9.	Minerva College of Pharmacy, Vill. Ghangrara, P.O. Bhapoo, Tehsil INDora, Distt. Kangra, H.P.	Website www.minervacollegeofpharmacy.org Email:- erjspatial@gmail.com	2019	+91-9815802173 +91-9815802178
10.	Aakash Institute of Medical Sciences, Op Randha Swami Bhawan, Pinjore, Road, Nalagarh, Solan, H.P.	Website:- www.aipnalagarh.com Email info@aipnalagarh.com Aioms1313@gmail.com	2019	01795221831, 9418060013, 9816060035
11.	Gautam College of Pharmacy, Ward No. 10, Near Bus stand Hamirpur, Distt. Hamirpur, H.P.	Website:- www.ggchmr.com/ Email:- ggchmr@gmail.com	2019	01972-221493
12.	L. R. Institute of Pharmacy, Village Jabli Kyar, P.O. Ochghat Rajgarh Road Solan	Email:- lrpolytechnic2010@gmail.com Website www.lrinstitutes.com	2019	01792-640235 01792-252845
13.	Himachal Institute of Pharmacy Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P.	Website:-pharmacycollege.ac.in Email hip.himachal@gmail.com	2019	7580055155
14.	Priyadarshni College of Pharmacy, Rait Distt. Kangra, H.P.-176208	Website:- www.sdritirait.in Email:- sdpharmacyrait1@gmail.com	2020	70182-84069
15.	DDM College of Pharmacy, Gondpur, Banehra (Upper), Distt. Una, H.P. 177213	Email:- ddmpharmacy123@gmail.com	2020	01976-268568 9418118568
16.	Green Hills Pharmacy College, Distt. Solan,H.P.	E.Mail-ghpc2003@gmail.com Website:- www.ghpc.co.in	2021	98059-67391 98059-67396
17.	Shaheed Bhagat Singh College of Pharmacy, Village Parla Tanda, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P.	Email:-sbscppalampur@gmail.com Website:-sbscppalampur.com	2023	86269-43314 9816116666

- Note:**
- Admission to Diploma Pharmacy course mentioned above in the Govt. & Pvt. Polytechnics/Institutions in H.P. shall be subject to approval of the PCI and affiliation by H.P. Takniki Shiksha Board. The Principals of the respective Institutes shall be responsible to submit the copies of PCI approvals & affiliation by H.P. Takniki Shiksha Board to the Directorate.
  - Admission to Diploma in Architecture Assistantship course in Govt. & Pvt. Polytechnics/Institutions in H.P. shall be subject to approval of the Council of Architecture (COA) and affiliation by H.P. Takniki Shiksha Board. The Principals of the respective Institutes shall be responsible to submit the copies of COA approvals & affiliation by H.P. Takniki Shiksha Board to the Directorate.

## **SPECIAL INSTRUCTIONS TO PRIVATE POLYTECHNICS**

- (i) निजी बहुतकनीकी संस्थानों द्वारा भरी जाने वाली मैनेजमेंट कोटे की सीटें भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही भरी जाएगी, जोकि इस विवरण पुस्तिका के अध्याय-4 में वर्णित है। इस प्रक्रिया के लिए निजी संस्थानों द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक admission का ब्यौरा, जिसमें उम्मीदवार के particulars, photo, signature, fee इत्यादि की पूर्ण जानकारी दी जाएगी, को web-portal ([www.hpotechboard.com](http://www.hpotechboard.com)) पर भरना होगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि के उपरांत पूरा विवरण portal से download एवं duly Authenticate करके हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को भेजना होगा तथा उसकी एक प्रति निदेशालय तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश को भी प्रेषित करनी होगी।
- (ii) The Chairman/Authorised Signatory of the Private Institutions/Polytechnics shall submit an undertaking to the Secretary, H. P. Takniki Shiksha Board, Dharamshala as well as Directorate of Technical Education, H.P. vide which he has to declare that all the Admissions made by the Institutional Admission Committee are correct and done as per the eligibility criteria mentioned in Admission Prospectus -2025.
- (iii) The report of Admissions under Management quota duly signed/authenticated by the Chairman/Counselling Committee of Private Institutions after downloading the same from the portal shall be sent to the Secretary, H. P. Takniki Shiksha Board, Dharamshala & the Directorate of Technical Education, H.P. within 10 days after cut off date prescribed by the Department.
- (iv) In the event of breach related to admission in violation of eligibility criteria/non-submission of record, the following procedure shall be followed:
- (a) Issuance of notice and imposition of penalty of Rs 15,000/- in addition to the recovery of fees on the concerned institution on 1st breach.
- (b) Imposition of penalty of Rs 30,000/- in addition to the recovery of fees on the 2<sup>nd</sup> instance of breach and reference to the Regulatory Bodies/Commission of Himachal Pradesh.
- (c) The 3<sup>rd</sup> breach would warrant the recommendation to the Regulatory Body i.e. All India Council for Technical Education (AICTE)/Pharmacy Council of India (PCI)/Council of Architecture Assistantship (COA) and H.P. Takniki Shiksha Board for withdrawal of approval and affiliation of the Institution.
- (v) The names of such students who have been able to get admission collusively knowing fully well that they are ineligible, shall be forwarded to the H.P. Takniki Shiksha Board for declaring their candidature null & void and further debarring the particular defaulters from taking admission in any Technical Educational Institution for the subsequent period of 2 years.

- (vi) The direct student interface shall be available in the Directorate of Technical Education **website** [techedu.hp.gov.in](http://techedu.hp.gov.in) in case of any malpractice related to admission made by the Management of Institute.
- (vii) In case of any violation of instructions, surprise checking of the admission record amongst others including search and seizure of records will be done.

**Warning - Any Institute found violating the rules and procedure of admission as laid down from time to time, shall be recommended for withdrawal of NOC by the State Govt., approval by the AICTE/PCI and affiliation by the H.P. Takniki Shiksha Board.**

**Distribution of seats available in Govt. & Private Polytechnics / Diploma Level Institutions in H.P.**

Type of seats	Percentage
*All India Quota (AIQ) Seats:	15% of the Total Seats
<b><u>For Engineering Diploma Admission:</u></b> General Seats Including one seat in each Institution for meritorious Kashmiri Migrants, 01 seat per course per institution for Single Girl Child within the sanctioned intake & 01 seat per course per institution for Widow Candidate(s) within the sanctioned intake.	85% of Total Seats (Less 15% Management seats)
<b><u>For Diploma Pharmacy Admission:</u></b> General Seats including 01 seat per course per institution for Single Girl Child within the sanctioned intake & 01 seat per course per institution for Widow Candidate(s) within the sanctioned intake.	
Management Seats : in Private Institutions only (Including NRI Seats. The Institution must have approval of AICTE for admitting NRI candidates.	15% of the 85% General Seats
Seats under Tuition Fee Waiver Scheme for admission to 1 <sup>st</sup> year engineering diploma courses. These Supernumerary seats shall be available only to such Course(s) in an Institution, where a minimum of 50% of Approved Intake” are filled up in last Academic year as per AICTE guidelines.	5% seats over and above the sanctioned intake.
Seats under Tuition Fee Waiver Scheme for admission to 1 <sup>st</sup> year Diploma in Pharmacy course. These Supernumerary seats shall be available only to such Course(s), where a minimum of 30% of “approved intake” are filled-up as per PCI guidelines.	5% seats over and above the sanctioned intake.

**\*Admission to AIQ shall not be made under Lateral Entry Scheme.**

# 1. प्रवेश कार्यक्रम एवं प्रक्रिया

- 1.1 प्रवेश हेतु प्रक्रिया: प्रवेश हेतु प्रथम वर्ष/लेट्रल एंट्री एवं फार्मैसी कोर्स की काउंसलिंग प्रक्रिया के 02 चरण (02 rounds) आनलाईन काउंसलिंग, 2 चरण (02 round) केन्द्रीय आफलाईन काउंसलिंग तथा इसके बाद भी अगर सीटें खाली रहती हैं तो उनहे संस्थान स्तर पर **Spot Counselling** द्वारा इस विवरण पुस्तिका में निर्धारित नियमों अनुसार भरा जाएगा। काउंसलिंग schedule की निर्धारित तिथियां/समय निदेशक तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश द्वारा समाचार पत्रों तथा तकनीकी शिक्षा बोर्ड की web-site [www.hpotechboard.com](http://www.hpotechboard.com) में अलग से प्रकाशित/सूचित किया जाएगा ।
- 1.2 प्रदेश के सभी राजकीय एवं निजी बहुतकनीकी संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों (courses) एवं अन्य राज्यों में नामांकित सीटों (अन्य राज्यों से सीटों का आवंटन प्राप्त होने पर ही लागू होगा) में प्रवेश हेतु आनलाईन आवेदन ही मान्य होगा ।
- 1.3 चयनित प्रार्थियों को सभी मूल प्रमाण-पत्रों सहित व्यक्तिगत रूप में सम्बन्धित संस्थान की एडीमिशन कमेटी के समक्ष प्रवेश कार्यक्रमानुसार (**As per Counselling Schedule for Admission**) उपस्थित होना होगा। सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों का एक सैट उक्त एडीमिशन कमेटी के पास जमा करवाना अनिवार्य होगा।
- 1.4 ट्यूशन फीस वेवर स्कीम (Tuition Fee Waiver Scheme): जिन बच्चों के माता-पिता की आमदनी सभी स्रोतों से 8.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम हो वे ट्यूशन फीस वेवर स्कीम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु पात्र होंगे । जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आमदनी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । यह स्कीम के अन्तर्गत 5 प्रतिशत सीटें उपलब्ध होंगी जोकि आर्किटेक्ट डिप्लोमा कोर्स एवं **Lateral Entry** के उम्मीदवारों के लिए मान्य नहीं होगी ।
- 1.5 In 2<sup>nd</sup> round of online counselling, all seats shall be filled up on the basis of inter-se-merit and only Himachali candidates are to be considered in this round. However, after 2<sup>nd</sup> round if seat(s) remain vacant than other state candidates may also be considered in inter-se-merit admission, **but other State candidate(s) shall not be eligible for admission under the Lateral Entry Scheme.**
- 1.6 In Architecture Assistantship diploma course, there is no provision for lateral entry for admission in 2<sup>nd</sup> year of 3 year diploma in Architecture/Architectural Assistantship course as informed by Shri R. K. Oberoi, Registrar, COA vide letter No. CA/5/Academic-Diploma dated 16/02/2023. COA has also informed that Council of Architecture does not have any Tuition Fee Waiver (TFW) scheme under which admission over the sanctioned intake is permitted and advised to admit student within the sanctioned intake approved by the Council.

## प्रशिक्षण व्यवस्था

- 2.1 डिप्लोमा स्तर के विभिन्न इन्जीनियरिंग व गैर-इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के लिए इस समय प्रदेश में कुल 17 राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, 01 MSME टेक्नालॉजी केन्द्र तथा 8 निजी बहुतकनीकी संस्थान (05 निजी बहुतकनीकी संस्थान 03 संस्थानों में 2<sup>nd</sup> Shift डिप्लोमा कोर्स संस्थान) कार्यरत हैं। डिप्लोमा फार्मैसी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए इस समय प्रदेश में कुल 02 राजकीय बहुतकनीकी संस्थान तथा 17 निजी संस्थान कार्यरत हैं।

पाठ्यक्रम एवं उनकी अवधि (Courses and their Duration):- राजकीय एवं निजी बहुतकनीकी संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रम (Course) एवं उनकी प्रशिक्षण अवधि निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	कोर्स का नाम	प्रणाली	कोर्स की अवधि
1	सिविल इंजीनियरिंग	सैमेस्टर प्रणाली	तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
2	मकैनिकल इंजीनियरिंग	सैमेस्टर प्रणाली	तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
3	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	सैमेस्टर प्रणाली	तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
4	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	सैमेस्टर प्रणाली	तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
5	इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	सैमेस्टर प्रणाली	तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
6	कम्प्यूटर इंजीनियरिंग	सैमेस्टर प्रणाली	तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
7	इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग	सैमेस्टर प्रणाली	तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
8	आर्कीटेक्चर ऐसिस्टेंटशिप	सैमेस्टर प्रणाली	तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
9	इलैक्ट्रीकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	सैमेस्टर प्रणाली	तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
10	मेकैट्रॉनिक्स	सैमेस्टर प्रणाली	तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
11	कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एवं इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी)	सैमेस्टर प्रणाली	तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
12	डिप्लोमा फार्मैसी	वार्षिक प्रणाली	दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स

प्रशिक्षणार्थी उपरोक्त जिस कोर्स में प्रशिक्षण पूर्ण करते हैं उन सफल प्रशिक्षणार्थियों को उसी कोर्स का हि.प्र. तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। परीक्षायें हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती हैं। इन पाठ्यक्रमों हेतु हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी नियम/ विनियम लागू होंगे।

### 3. प्रवेश क्षमता विवरण (Details of Intake Capacity)

3.1 हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न राजकीय एवं निजी क्षेत्र के बहुतकनीकी संस्थानों की प्रवेश क्षमता (Intake Capacity) का विवरण निम्न प्रकार से है:-

#### ACADEMIC SESSION 2025-26

Sr No.	Name of Govt. Polytechnic	Course wise intake of Govt. Polytechnics											Total Seats
		Civil Engineering	Electrical Engg.	Mechanical Engg.	Automobile Engg.	Architecture Asstt.	Eltx. & Comm. Engineering	Instrumentation	Computer Engg.	Information Technology	Mechatronics	Computer Engineering and Internet of Things	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Govt. Polytechnic Sundernagar (Mandi)	40	40	40	40	30	-	-	40	-	-	-	230
2	Govt. Polytechnic Hamirpur	40	40	40	-	-	-	-	40	00\$	-	40#	200
3	Govt. Polytechnic Rohru, Distt. Shimla	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	70
4	Govt. Polytechnic (W) Kandaghat, Distt. Solan	-	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	80
5	Dr. B.R. Ambedkar Govt. Polytechnic Ambota, Distt. Una	40	-	-	-	30	40	-	40	-	-	-	150
6	Govt. Polytechnic Kangra	-	40	40	-	-	40	40	40	-	-	-	200
7	Govt. Millennium Polytechnic Chamba	40	-	-	-	-	-	-	40	-	30	-	110
8	Rajiv Gandhi Govt. Polytechnic Banikhet, Distt. Chamba H.P.	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
9	Govt. Polytechnic Talwar (Jaisinghpur), Distt. Kangra	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	80
10	ABVGIET, Polytechnic, Pragtinagar, Shimla.	00	40	30	-	-	40	-	40	-	-	-	150
11	Govt. Polytechnic Paonta Sahib	-	40	40	40	-	-	-	40	-	-	-	160
12	Govt. Polytechnic Kullu at Seo-Bagh, Distt. Kullu, H.P.	40	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	120
13	Param Veer Chakra Naib Subedar Sanjay Kumar, Govt. Polytechnic Bilaspur, Vill & P.O. Kalol, Tehsil Jhanduta, Distt. Bilaspur ( H.P.)	-	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	80
14	*Govt. Polytechnic Kinnaur	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	80
15	*Govt. Polytechnic Lahaul & Spiti	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
16	Govt. Polytechnic for Women at Rehan, Distt. Kangra, H.P.	40	-	-	-	40	-	-	40	-	-	-	120
17	Govt. Polytechnic Janduar, Distt. Kangra, H.P.	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
<b>Grand Total</b>		430	400	270	160	100	160	40	360	00	30	70	2020

#### IMPORTANT NOTES:

The above intake capacity is tentative and may be vary, the final list shall be displayed in the DTE as well H.P. Takniki Shiksha Board website shortly.

\$ Admission to Diploma in Information Technology at Govt. Polytechnic Hamirpur shall be made in 2<sup>nd</sup> year (3<sup>rd</sup> Semester) through Lateral Entry as per criteria of LEET admission, whereas no admission shall be made in 1<sup>st</sup> year.

#Diploma in Computer Engineering & Internet of Things at Govt. Polytechnic Hamirpur shall be started, subject to approval of AICTE & affiliation from HPTSB for the academic year 2025-26.

\* The classes of 02 Govt. Polytechnics at Sr. no. 14 & 15 namely Kinnaur and Lahaul & Spiti are running in their mentor institutes namely Govt. Polytechnics at Rohru & Sundernagar respectively and the classes shall be shifted as and when permanent actual sites/AICTE approved site/ any other campus is made available to the Department by the State Govt.

Sr No.	Institute working under the Administrative Control of Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Govt. of India, New Delhi	Name of diploma course	Intake capacity
1.	MSME Technology Centre Baddi, Distt. Solan, H.P.	Mechanical Engineering	60

Sr No.	Name of Pvt. Polytechnic	Civil Engineering	Electrical Engg.	Mechanical Engg.	Automobile Engg.	Eltx. & Comm. Engineering	Computer Engg.	Electrical & Electronics	Total Seats
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Green Hills Polytechnic Kumarhatti, Distt. Solan H.P.	45	60	23	23	00	45	00	196
2	K.C. Polytechnic, Pandoga Uparela Tehsil & Distt. Una	60	60	60	00	00	30	00	210
3	Dreamz Polytechnic, Vill-Khilra, P.O. Meramasit, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi	60	60	30	15	15	15	00	195
4	SIRDA Polytechnic Naulakha, Vill. Troat, P.O. Kanaid Bazar, Sundernagar, Distt. Mandi	30	00	00	00	00	30	30	90
5	LR Polytechnic, Vill. Jabli-Kyar, P.O. Oachghat Solan (H.P.)	60	30	60	00	00	30	00	180
<b>Grand Total</b>		255	210	173	38	15	150	30	871

#### ACADEMIC SESSION 2025-26 (2<sup>nd</sup> Shift)

Sr. No.	Name of Institute	Name of Diploma Courses with intake				Total intake
		Civil Engg.	Mech. Engg.	Computer Engg.	Electrical Engg.	
1.	Himachal Institute of Engineering & Technology, Shahpur, Kangra.	30	15	30	30	105
2.	Vaishno College of Engineering, Thapkaur, Kangra.	30	30	00	30	90
3.	T.R. Abhilashi, Institute of Engineering & Technology, H.O. Nerchowk, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.)	30	00	00	30	60
<b>Total</b>		<b>90</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>255</b>

#### Govt. & Pvt. Polytechnics/Institutions conducting Diploma Pharmacy course for the session 2025-26 (Subject to approval of PCI)

Sr. No.	Name of Institute	Name of Course	Nos. of seats
1	Govt. Polytechnic (W) Kandaghat, Distt. Solan	D. Pharmacy	40
2.	Govt. Polytechnic Rohru, Distt. Shimla	-do-	40
3.	K.C.Polytechnic, Pandoga Uparela , Tehsil & Distt. Una	-do-	60
4.	SIRDA Polytechnic Naulakha, Vill. Troat, P.O. Kanaid Bazar, Sundernagar, Distt. Mandi	-do-	60
5.	Himalyan Institute of Pharmacy, Near Suketi Fossil Park Road, KalaAmb, Distt. Sirmour H.P.	-do-	60
6.	Shanti Niketan College of Pharmacy Ratti, Tehsil Sadar, Distt. Mandi	-do-	60
7.	Laureate Institute of Pharmacy, Kathog, Tehsil Dehra, Distt. Kangra, H.P.	-do-	60

8.	Shiva Institute of Pharmacy, P.O. Chandpur, Tehsil & Distt. Bilaspur, H.P.	-do-	60
9	Dreamz College of Pharmacy, Vill. Luhanoo Kanetain, PO Meramasit, Sundernagar, Mandi, H.P.	-do-	60
10	Vinayaka Institute of Pharmacy, Village Saithal, P.O. Rajwari, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P.	-do-	60
11.	Minerva College of Pharmacy, Vill. Ghangrara, P.O. Bhapoo, Tehsil INdora, Distt. Kangra, H.P.	-do-	60
12.	Aakash Institute of Medical Sciences, Op Randha Swami Bhawan, Pinjore, Road, Nalagarh, Solan, H.P.	-do-	60
13.	Gautam College of Pharmacy, Ward No. 10, Near Bus stand Hamirpur, Distt. Hamirpur, H.P.	-do-	60
14.	L. R. Institute of Pharmacy, Village Jabli Kyar, P.O. Ochghat Rajgarh Road Solan	-do-	60
15.	Himachal Institute of Pharmacy Paonta Sahib, Distt. Sirmaur, H.P.	-do-	60
16.	Priyadarshni College of Pharmacy, Rait Distt. Kangra, H.P.-176208	-do-	60
17.	DDM College of Pharmacy, Gondpur, Banehra (Upper), Distt. Una, H.P. 177213	-do-	60
18.	Green Hills Pharmacy College, Distt. Solan, H.P.	-do-	40
19.	Shaheed Bhagat Singh College of Pharmacy Palampur, Distt. Kangra, H.P.	-do-	60
<b>Total</b>			<b>1080</b>

**Note:**

- Names of Institutions, courses and intake have been shown are tentative and it may vary. The final list shall be displayed on the websites of Directorate of Technical Education and H.P. Takniki Shiksha Board well before the admission/counselling process.
- Admissions to all the Diploma courses mentioned above in the Govt. & Pvt. Polytechnics in H.P. shall be subject to approval of the competent authority i.e. AICTE/ COA/PCI and affiliation by H.P. Takniki Shiksha Board. The Principal of the Institute shall be responsible to submit the copy of AICTE/COA/PCI approval and affiliation by H P Takniki Shiksha Board to this Directorate soon after it is granted by the concerned authority.
- In case of direct admission in 2<sup>nd</sup> year diploma in Non-Pharmacy & Non-Architecture courses through Lateral Entry Scheme, 10% seats shall be filled over and above the annual intake as granted by the AICTE, in respect of all Govt. & Pvt. Polytechnics. The resultant vacancy of previous year, if any, are also filled-up in addition to 10% over and above the sanctioned intake, in 3<sup>rd</sup> semester through Lateral Entry Scheme.
- In Architecture Assistantship diploma course, there is no provision for lateral entry for admission in 2<sup>nd</sup> year of 3 year diploma in Architecture/Architectural Assistantship course as informed by Shri R. K. Oberoi, Registrar, COA vide letter No. CA/5/Academic-Diploma dated 16/02/2023. COA has also informed that Council of Architecture does not have any Tuition Fee Waiver (TFW) scheme under which admission over the sanctioned intake is permitted and advised to admit student within the sanctioned intake approved by the Council.

**3.2** बहुतकनीकी संस्थानों में चल रहे सभी व्यवसायों में नियमित विभागीय कर्मचारी अतिआवश्यक सूचना संख्या 9 तथा अध्याय 4 में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही प्रवेश के पात्र होंगे। विभागीय उम्मीदवारों की वरीयता सूची अन्य उम्मीदवारों के साथ एक ही होगी।

#### 4. हिमाचल प्रदेश के राजकीय व निजी बहुतकनीकी संस्थानों में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

##### 4.1 (Minimum Eligibility Qualification / Criteria for Three years Engineering diploma courses).

- I. Eligibility Criteria for admission to 1<sup>st</sup> year in Polytechnics**-The minimum eligibility criteria for admission to 1<sup>st</sup> year Engineering courses and Architecture Assistantship course etc in Govt. / Private Polytechnics of Himachal Pradesh is that the candidate must have passed 10<sup>th</sup> standard with 35% marks at the qualifying examination from a recognized Board/University or its equivalent as prescribed by the AICTE/COA.
- **Process of admission to 1<sup>st</sup> year in Polytechnics shall be in following order:-** The admission shall be made strictly on the basis of merit of marks obtained in Polytechnic Admission Test-2025 (PAT-2025) conducted by H.P. Takniki Shiksha Board Dharamshala. The applicant must secure 15% marks for General Category and 10% marks for reserved categories in PAT-2025 to qualify and participate in the online process for admission to 1<sup>st</sup> year diploma courses for the academic session 2025-26.
  - The eligible candidate(s) who have not applied for PAT-2025 can also apply for 2<sup>nd</sup> round of Online Counselling and subsequent rounds of Centralized Offline Counselling as Non PAT candidates.
  - The applicant(s) who have not secured the qualifying marks in PAT-2025 are also eligible to apply during 2<sup>nd</sup> round of Online Counselling and subsequent rounds of Centralized Offline Counselling, however the admission in this round shall be made first on the basis of the merit of qualified PAT candidates followed by merit of marks obtained in minimum educational qualification prescribed by AICTE as specified above for non qualified/non PAT candidates on inter se merit.
  - The schedule/time line of online/Centralized Offline/institution level counselling shall be published separately in news papers as well as uploaded on the official website of H.P. Takniki Shiksha Board Dharamshala.
  - प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के अंकों की प्रतिशतता एक सी ही होने के मामले में जिसकी उम्र अधिक होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- II** भारत सरकार द्वारा **Beneficiary States** के लिए हिमाचल प्रदेश के बहुतकनीकी संस्थानों में अन्य राज्यों (**Other States**) से मनोनीत प्रत्याशियों को इंजीनियरिंग डिप्लोमा/अन्य पाठ्यक्रमों (**Courses**) में आवंटित स्थानों (भारत सरकार से सीटों का आवंटन होने पर ही लागू होगा) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु पात्रता के लिए यह अनिवार्य होगा कि :-
- मनोनीत करने वाले राज्य द्वारा मनोनयन उस द्वारा आयोजित पूर्व प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया गया हो । प्रवेश के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्तों को पूरा करते हों तथा प्रवेश, AICTE द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अंको की वरीयता (Merit) के आधार पर योग्यतानुसार सम्पन्न किया गया हो ।
  - भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश (Beneficiary State) को दूसरे राज्यों के संस्थानों में आवंटित सीटों के अन्तर्गत प्रवेश हेतु मनोनयन की प्रक्रिया (भारत सरकार से सीटों का आवंटन होने पर ही लागू होगा) ।

यह प्रवेश प्रक्रिया प्रदेश के बहुतकनीकी संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया का ही एक अंग होगी और उनके लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी परन्तु मनोनीत प्रत्याशी को यह सुनिश्चित कर लेना उसका कर्तव्य है कि उसे दूसरे राज्य के जिस संस्थान में मनोनीत किया जा रहा है, उस संस्थान द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्तों को वह पूरा करता हो तथा उसके प्रवेश सम्बन्धि शर्तों के पूरा न करने के आधार पर उस के मनोनयन के रद्द होने का सारा दायित्व उसका अपना ही होगा तथा सरकार/विभाग पर इस हेतु कोई भी दायित्व नहीं होगा । मनोनीत प्रत्याशी को संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित सभी शुल्क इत्यादि उसी संस्थान में जहां उसका मनोनयन होगा, अपने आप देने होंगे तथा प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के शुल्क इत्यादि देय नहीं होंगे ।

- There will be no provisional admission whatsoever either in regular diploma stream or Lateral Entry Level.

## **4.2 (Minimum Eligibility Qualification / Criteria for Two Years Engineering Diploma Courses through Lateral Entry ).**

- Eligibility criteria for direct admission to 2<sup>nd</sup> year (3<sup>rd</sup> semester) in Polytechnic Engineering diploma courses under Lateral Entry Scheme as per AICTE, Approval Process Hand Book, which are as under:-

Passed 10+2 examination with Physics/Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics/Information Technology/Biology/Informatics Practices/Biotechnology/Technical Vocational subject/Agriculture/Engineering Graphics/Business Studies/Entrepreneurship as per table 8.4 of AICTE, Approval Process Handbook (APH) 2024-27 & copy of which is enclosed herewith as परिशिष्ट–XIII.

Or

10<sup>th</sup> + 2 years ITI under NCVT/SCVT/COE in engineering stream shall be eligible for admission to Second Year Diploma Course(s) of appropriate Programme as per AICTE Norms.

(The Affiliating Body will offer suitable bridge courses such as Mathematics, Physics, Engineering drawing, etc for the students coming from diverse backgrounds to achieve desired learning outcomes of the programme).

- **Process of admission to second year in Polytechnics through Lateral Entry Scheme:** The admission shall be made strictly on the merit of marks obtained in Lateral Entry Entrance Test (LEET-2025) conducted by H.P. Takniki Shiksha Board Dharmshala. *The applicant must secure 15% marks for General Category and 10% marks for reserved categories in LEET-2025 to qualify and participate in the online process for admission to 2<sup>nd</sup> year diploma courses for the academic session 2025-26.*
- The eligible candidate(s) who have not appeared in LEET-2025 can also apply in 2<sup>nd</sup> round of Online Counselling and subsequent rounds of Centralized Offline Counselling as Non LEET candidates. **But, Admission in TFW, AIQ, Single Girl Child, Widow Candidates & Kashmiri Migrants seats shall not be made under Lateral Entry Scheme.**
- In Architecture Assistantship diploma course, there is no provision for lateral entry for admission in 2<sup>nd</sup> year.
- The applicant (s) who have not secured the qualifying marks in LEET-2025 are also eligible to apply in 2<sup>nd</sup> round of Online Counselling and subsequent rounds of Centralized Offline Counselling, however the admission in this round shall be made first on the basis of the merit of qualified LEET candidates followed by merit of marks obtained in minimum educational qualification prescribed by AICTE as specified above for non qualified/non LEET candidates on the basis of inter se merit.
- The schedule/time line of online/Centralized Offline/institution level counselling shall be published separately in news papers as well as uploaded on the official website of H.P. Takniki Shiksha Board Dharamshala.
- प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के अकों की प्रतिशतता एक सी ही होने के मामले में जिसकी उम्र अधिक होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- There will be no provisional admission whatsoever either in regular diploma stream or Lateral Entry Level.
- The Institution under "No Admission" category is not eligible for admission to Lateral Entry in current Academic Year as per Clause No. 6.13 (d) of AICTE, APH 2024

#### **4.3 Minimum Eligibility Qualification/Criteria for Diploma Pharmacy Course as per ER 2020 of PCI**

As per PCI notification dated 9<sup>th</sup> October, 2020 The Education Regulations, 2020 for Diploma Course in Pharmacy, Regulations made under section 10 of the Pharmacy Act, 1948. (As approved by the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare vide letter no. Z-28020/59/2019- AHS/FTS-8012809 dated 7.10.2020). That as per Chapter 2, Point no.4 of the above mentioned Education Regulation 2020 for Diploma in Pharmacy (Part-I and Part-II) the minimum education qualification is given as under:-

**Minimum qualification for admission to Diploma in Pharmacy:** - A pass in 10+2 examination (science academic stream) with Physics, Chemistry and Biology or Mathematics.

**OR**

Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to the above examination.

Provided that there shall be reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions issued by the Central Government /State Governments /Union territory administrations as the case may be from time to time.

**Note: In addition to clause No. 4.3 above the Pharmacy Council of India has issued the following directions/order regarding eligibility for admission to D. Pharmacy courses as conveyed vide letter No. 14-2/2006-PCI-5763-6337 dated 13 June, 2007.**

- a) **To approve:** 2 years Higher Secondary Education Board Exam. (Science Academic stream with Physics, Chemistry, Biology) of Higher Secondary Education Board, Nepal under sub-regulation (5) of Regulation 5 of Education Regulations, 1991 for admission to Diploma course in pharmacy.
- b) **To approve:** only science academic stream (regular course of 10+2) in line with regulation 5(3) of Education Regulations, 1991 for admission to D. Pharm course.
- c) **Not to approve:** Pre-University Examination (New Scheme) of Andhra University with Physics, Chemistry, Maths or Physics, Chemistry, Biology under sub-regulation (5) of Regulation 5 of Education Regulations, 1991 for admission to Diploma course in Pharmacy.

Besides above Pharmacy Council of India in its 97<sup>th</sup> Central Council meeting held in June, 2015 has decided to approve a pass from Open School education system of the Central Govt. /State Govt. Institutions for admission to various Pharmacy courses for the purpose of registration as a pharmacist vide Public Notice No. 14-2/2015-PCI (A), dated 30.7.2015 of Registrar-cum-Secretary, PCI.

It is further clarified that if candidates having qualifications other than those approved by PCI are admitted to D. Pharm course they shall not be eligible for registration as a pharmacist to practice the profession under the Pharmacy Act even though they might have completed the D. Pharm course. In this event the entire consequences shall rest with the admission making and course conducting authorities and PCI in no way shall be responsible for the same.

- **Provisional Admission – There will be no provisional admission.**

- **Basis of admission: -**

Admission to Diploma Pharmacy course shall be made on the basis of Inter-semester/Rank prepared on the basis of percentage of aggregate marks obtained in qualifying examination in Chemistry, Physics, Biology/Mathematics and English.

- For the candidates who have passed with combined subjects i.e., Mathematics and Biology then higher subject marks shall be taken into consideration.
- In case, subject wise marks are not mentioned by the concerned board then GPA and CGPA awarded by the board will be considered for calculating the subject-wise marks and aggregate marks of Chemistry, Physics, Biology/Mathematics and English according to the conversion factor mentioned in the detailed marks certificate.
- In case of tie, the tie breaking criteria will be in the order of marks obtained in Chemistry, Physics, Biology/Mathematics and English.
- If the tie still persists, senior in Age will be placed in higher merit.
- The schedule/time line of online/Centralize Offline/institution level counselling shall be published separately in news papers as well as uploaded on the official website of H.P. Takniki Shiksha Board Dharamshala.

## 5. Reservation of seats :

### i. RESERVATION FOR POLYTECHNIC ENGINEERING COURSES ADMISSION

<b>Vertical Reservation</b>	
General	45%
SC	22%
OBC	18%
ST	05%
*EWS for General Category	10%
<b>Horizotal Reservation</b>	
Ex-Man	15%
Divyang/PH (Physically Handicapped)	03%
RBA (Rural Backward Area)	04%
FF (Freedom Fighter)	02%
Sports	02%
Antodya/BPL (SC, ST & OBC Categories)	15%

**Important Note for Diploma in Engineering Admission:** For implementation of EWS, annual intake shall be increased by a multiplication factor of 1.22 i.e. (General reservation/category reservation)=55/45. Thus intake of seats for courses with intake of 30, 40 and 60 shall be increased to 37, 49 and 73 respectively (i.e. existing intake\*1.22). (Ref. letter EDN(TE)B(15)3/2010 dated 24/08/2020).

In case of direct admission in 2<sup>nd</sup> year (3<sup>rd</sup> Semester) engineering diploma courses through Lateral Entry Scheme, the old 200 point roster without EWS shall be applicable.

\*EWS seats shall be filled from EWS candidates and if EWS seats remain vacant after the last round of Counselling/Institution level spot counselling, the same shall be considered for Lateral Entry in next year i.e. 2<sup>nd</sup> year (3<sup>rd</sup> Semester)

**ii. RESERVATION FOR DIPLOMA PHARMACY ADMISSION  
(Auth Letter EDN(TE)B(15)-3/2010 dated 30-10-2020)**

<b>Vertical Reservation</b>	
General	55%
SC	22%
OBC	18%
ST	05%
<b>Horizotal Reservation</b>	
Ex-serviceman/Ward of serviceman	15%
Divyang/PH (Physically Handicapped)	03%
RBA (Rural Backward Area)	04%
FF (Freedom Fighter)	02%
Sports	02%
Antodya/BPL/IRDP/Orphan	15%

**Important Note for Admission in Diploma Pharmacy course:**

(PCI Auth. Letters 14-48/2012-PCI/4473 dated 30/09/2020 & 14-48/2012-PCI/6569 dated 2/12/2020): The following category of supernumerary seats made by Institutions approved u/s 12 of the Pharmacy Act, 1948 will be considered by the PCI:

<b>Sr. No</b>	<b>Category</b>	<b>Supernumerary seats</b>	<b>Remarks</b>
1.	Supernumerary seats for J&K and Ladakh under Prime Minister's Special Scholarship Scheme (PMSSS) subject to changes suggested by the inter-ministerial committee of MHRD from time to time.	5 seats per Institution	<p>5 seats per Institution. These seats shall be supernumerary in nature. This category shall be mandatory for all Institutions approved by the PCI, subject to, the changes suggested by the Inter-Ministerial Committee of MHRD from time to time.</p> <p><b>Eligibility:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>All students having domicile of J&amp;K and Ladakh are eligible for seats under this scheme.</li> <li>The student shall have passed Higher Secondary Examination (12th Std.) from the schools located in J&amp;K and Ladakh.</li> <li>Sons/Daughter of parents whose annual income from all sources does not exceed Rs. 8.00 Lakh.</li> </ul>

2	EWS (Economic Weaker Section)	10% of "Approved intake"	Supernumerary seats.
3	Tuition Fee Waiver Scheme (TFW)	5% of "Approved Intake"	Under this Scheme, up to a maximum of 5% of approved intake per Course shall be available for this admission. These seats shall be supernumerary in nature.  These supernumerary seats shall be available only to such institution, where a minimum of 30% of approved intake" are filled up.

These seats in above categories shall be filled with only those candidates for whom the benefit is meant for by the competent authority and not by the Institution. In the event of such seats not being filled, the said seats shall remain vacant and not be filled by other category candidates.

## 6. प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

- 6.1 राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी में दिव्यांग/ विकलांग वर्ग हेतु MHRD, Govt. of India की Centrally Sponsored Scheme के अन्तर्गत सभी कोर्सों में विभाजित करके कुल 25 स्थान over and above the sanctioned intake आरक्षित होंगे, जिसके लिए प्रवेश प्रक्रिया राजकीय बहुतकनीकी सुन्दरनगर में off-line (manual) तरीके से सम्पन्न की जाएगी। इस स्कीम के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति व अन्य लाभ मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या No. 18-1/2014-TS.IV dated 10-02-2014 के अनुसार ही देय होंगे। यह सुविधा केवल राजकीय बहुतकनीकी सुन्दरनगर में उपलब्ध है। इसके लिए प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी सुन्दरनगर को ऑफलाईन आवेदन करना होगा जिसके लिए तिथि अलग से प्रकाशित/सूचित की जाएगी। इस स्कीम में आवेदक की दिव्यांग/ विकलांगता की स्थिती देखते हुए कमेटी द्वारा उपयुक्त कोर्स का आबंटन किया जाएगा।
- 6.2 डिप्लोमा इंजिनियरिंग कोर्सों में कश्मीरी विस्थापितों के लिए प्रत्येक बहुतकनीकी संस्थानों में एक-एक स्थान within sanctioned intake आरक्षित होंगे (यह आरक्षण भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से इस सत्र हेतु अनुमति मिलने पर ही लागू होगा)। जबकि डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स में जम्मू एवं कश्मीर तथा लदाख क बच्चों हेतु प्रत्येक संस्थान में 05 सीटें over & above the sanctioned intake आरक्षित रखने का प्राबधान है। यह सीटें भी अध्याय 4 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी।
- 6.3 आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्धित प्रत्याशियों को पाठयक्रमों की शाखाओं का वितरण पूर्णतया योग्यता के आधार पर तथा उपलब्ध स्थानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आरक्षित श्रेणियों में से बचे प्रत्याशियों को योग्यता के आधार पर सामान्य मुख्य वर्ग (General Main Category) के प्रत्याशियों के साथ भी मैरिट के आधार पर लिया जाएगा।
- 6.4 आरक्षित वर्गों के अन्तर्गत प्रवेश हेतु आरक्षण केवल Bonafide/Domicile हिमाचलियों को ही मिलेगा। जिसके लिए उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.4.1 हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सैनिकों के बच्चों को हिमाचली Domicile होने से छूट होगी वशर्ते उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा से दसवीं पास की हो (हि.प्र. सरकार के पत्र संख्या EDN (TE) B (15) 4 /2004-II दिनांक 13.10.2010 अनुसार)।
- 6.5 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में O.B.C (अन्य पिछड़ा वर्ग) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु O.B.C प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तिथि से एक साल या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि ही माना जाएगा, जिसकी वैधता काउंसलिंग व एडमिशन की तिथि तक होनी आवश्यक है।
- 6.6 किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित स्थानों के अन्तर्गत प्रवेश पत्र पर तभी विचार किया जाएगा यदि सम्बन्धित वर्ग के प्रमाण की पुष्टि में निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होगा। सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध स्थानों पर प्रवेश हेतु प्राथमिकता निम्न कम से होगी :-

- (i) जिन्होंने पिछड़े क्षेत्र/पंचायत में स्थित स्कूल से प्राइमरी/मिडल/दसवीं में से कम से कम कोई एक परीक्षा पास की हो।
- (ii) यदि ऐसा कोई प्रत्याशी उपलब्ध न हो तो जिन्होंने पिछड़े क्षेत्र/पंचायत के विल्कुल साथ लगने वाले क्षेत्र/पंचायत में स्थित स्कूल से उपरोक्त कोई एक परीक्षा पास की हो।
- (iii) यदि ऐसा कोई प्रत्याशी उपलब्ध न हो तो पिछड़े क्षेत्र/पंचायत से सम्बन्धित प्रत्याशी।
- (iv) यदि पिछड़े क्षेत्र/पंचायत के स्थान हेतु कोई योग्य प्रत्याशी उपलब्ध न हो तो वह स्थान उसके मुख्य वर्ग के प्रत्याशी को दे दिया जाएगा।
- 6.7 शारीरिक रूप से विकलांग/दिव्यांग प्रत्याशियों हेतु प्रवेश (Admission for Physically Handicapped Candidates)- हिमाचल प्रदेश के राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में विकलांग/अपंग प्रत्याशियों को प्रवेश देने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं ई0 डी0 एन0 (टी.ई) एफ (7)7/99 दिनांक 25 मार्च 2000 के अनुसार सामान्य वर्ग सहित सभी आरक्षित वर्गों में 3% स्थानों हेतु उप-आरक्षण दिया गया है। विकलांग प्रत्याशियों को बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विवरण पस्तिका में दिए गए पैरा/शीर्षक-4 के अनुसार ही होगी। विकलांग वर्ग से सम्बन्धित सिर्फ उन्हीं प्रशिक्षण योग्य प्रत्याशियों को प्रवेश हेतु पात्र समझा जाएगा जिनकी अपंगता कम से कम 40% (Moderate Disability) होगी। इसके लिए सम्बन्धित प्रत्याशी को मैडीकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए अपंगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रवेश चयन समिति को प्रवेश के समय जमा करवानी होगी तथा कोर्सों का आबंटन करते समय प्राथी की विकलांगता/अपंगता को ध्यान में रखकर उपयुक्त कोर्स का आबंटन किया जाएगा।
- 6.8 समस्त राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में चयनित, 40% व इससे अधिक दिव्यांग/विकलांगता वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश शुल्क (Admission fee) एवं शैक्षणिक शुल्क (Tuition Fee) देने से छूट होगी।
- 6.9 15% तक स्थान, भारतीय राष्ट्रियता वाले अन्य राज्यों के प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध होंगे परन्तु उन्हें सामान्य वर्ग (General Category) के अन्तर्गत हिमाचल के मूल निवासियों / हिमाचल प्रदेश के अधिवासियों के बच्चों के साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको की मैरिट में आना होगा। General Category में हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों/हिमाचल प्रदेश के अधिवासियों के बच्चों तथा भारतीय राष्ट्रियता वाले अन्य राज्यों के प्रत्याशियों की मैरिट हेतु लिस्ट एक ही होगी।
- 6.10 Inter-se priority for reservation/preference to the wards of Armed Forces personnel by States for admission in Polytechnic diploma courses as per letter No. 6(1)2017/D(Res.II) dated 21<sup>st</sup> May, 2018 issued by the Joint Secretary (Res.II), Ministry of Defence, Department of Ex-Servicemen Welfare, Sena Bhawan, New Delhi and further the permission granted by the Director, Sainik Welfare, H. P. vide letter letter No. 16-1/(Rulling)/2014-SWD dated 27<sup>th</sup> Feb., 2024 is as under:
- Priority I: Widows/Wards of Defence personnel killed in action.
  - Priority II: Wards of disabled in action and boarded out from service.
  - Priority III: Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service.
  - Priority IV: Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

- Priority V: Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards:
  - i. Param Vir Chakra.
  - ii. Ashok Chakra.
  - iii. Maha Vir Chakra.
  - iv. Kirti Chakra.
  - v. Vir Chakra.
  - vi. Shaurya Chakra.
  - vii. Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal.
  - viii. Mention-in-Despatches.
- Priority VI: Wards of Ex-Servicemen.
- Priority VII: Wives of:
  - i) defence personnel disabled in action and boarded out from service.
  - ii) defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.
  - iii) ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards.
- Priority VIII: Wards of Serving Personnel.
- Priority IX: Wives of Serving Personnel.

**Note:** सैनिक/भूतपूर्वक सैनिकों के बच्चों से सम्बन्धित वर्ग के अर्न्तगत प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-IV में दिये गये प्रपत्र के अनुरूप ही सक्षम अधिकारी से अधिप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

- 6.11** For nomination if any received from MHRD, 01 seat shall be kept vacant in each Govt. Pharmacy institute, out of General quota upto Centralized Offline Counselling, otherwise this vacant seats shall be filled out of General candidates.

## 7. खिलाड़ी प्रत्याशी का प्रवेश (Admission for Sports Candidates)

7.1 खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित स्थानों के अन्तर्गत प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र पर तभी विचार किया जाएगा, यदि प्रत्याशी प्रवेश योग्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो। स्पोर्ट्स वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करने वाले प्रत्याशियों को अपने खेल कूद सम्बन्धित सबसे श्रेष्ठ achievements वाले प्रमाण पत्रों का अधिप्रमाणन (Authentication), हिमाचल प्रदेश सरकार, युवा सेवार्य एवं खेल विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या वाई.एस.एस.-एफ (5)1/2001 दिनांक 30.03.2001 तथा समनस्ति अधिसूचना दिनांक 19.09.2001 के अनुसार नीचे दर्शाए गए प्राधिकारियों से करवाना अनिवार्य है :-

- (i) जहां टीमों विश्वविद्यालय द्वारा भेजी जाएं-निदेशक खेल, हि.प्र. विश्वविद्यालय द्वारा।
- (ii) जहां टीमों शिक्षा विभाग द्वारा भेजी जाएं-संयुक्त निदेशक/ उप-निदेशक / सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) हि.प्र. द्वारा।
- (iii) जहां टीमों विभिन्न राज्य खेल संघ के संघों द्वारा भेजी जाएं-उनके प्रमाण पत्र पहले सम्बन्धित राज्य खेल सचिव अधिप्रमाणित करेंगे तत्पश्चात् निदेशक/उप-निदेशक खेल विभाग उनको प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
- (iv) जहां टीमों युवा सेवार्य एवं खेल विभाग द्वारा भेजी जाएं- निदेशक/उप-निदेशक खेल विभाग द्वारा।

इस सम्बन्ध में प्रत्याशों द्वारा खेल-कूद के प्रमाण-पत्रों की वास्तविकता (Genuineness) निदेशक खेल कूद विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा गठित की गई विशेषज्ञों की समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसके लिए खेल कूद वर्ग के सभी प्रत्याशियों को डिप्लोमा ईजीनियरिंग एवं आर्किटेक्ट कोर्सों में प्रवेश हेतु राजकीय बहुतकनीकी सुन्दरनगर में तथा डिप्लोमा फार्मेसी में प्रवेश हेतु राजकीय महिला बहुतकनीकी कण्डाघाट में खेल-कूद के सभी मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना होगा, जिसकी तिथि/दिन विभाग द्वारा अलग से सूचित की जाएगी।

7.2 हिमाचल प्रदेश सरकार के खेल-कूद विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स एवं एथलैटिक्स की सभी events/games को जोकि Annexure-IX में दर्शाई गई है, इस वर्ग के अन्तर्गत लिया जाएगा। इस हेतु सांस्कृतिक (Cultural) प्रोग्राम की events को मान्यता नहीं दी जाएगी।

7.3 खिलाड़ी वर्ग के अन्तर्गत भरे जाने वाले स्थानों के लिए अलग मैरिट बनाई जाएगी जिसे बनाते समय प्रत्याशी द्वारा खेल-कूद में प्राप्त की गई सबसे श्रेष्ठ achievement के आधार पर उसे निम्नलिखित मानकों के अनुसार अतिरिक्त अधिभार उसके मैरिट में जोड़ कर स्पोर्ट्स वर्ग हेतु उसकी योग्यता का निर्धारण किया जाएगा अर्थात् अध्याय 4 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता की मैरिट में जोड़कर स्पोर्ट्स मैरिट बनाई जाएगी। इस प्रकार स्पोर्ट्स वर्ग हेतु बनाई गई मैरिट केवल इसी वर्ग के लिए ही लागू होगी दूसरे वर्गों हेतु नहीं।

7.4 स्पोर्ट्स वर्ग के अन्तर्गत अतिरिक्त अधिभार की गणना खेल-कूद के स्तर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और सीनीयर तथा जूनियर इत्यादि तथा उपलब्धि अर्थात् Winner or participation or other than Winner इत्यादि युवा सेवा और खेल विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या YSS-F(10)-1/2021-Loose dated 11<sup>th</sup> March, 2022 पर आधारित होगा और इस हेतु अधिभार निम्नकम से उपलब्ध होगा:-

Sr. No	Sports Gradation	Eligibility of Tournaments		Level of Tournament/Competitions/ Championships/events in which played/participated	Addl Weightage ( In Marks)
		Participation	Medal Winners		
2	Grade A	Olympics, Paralympics and 4-year World championship (restricted to sports disciplines played in Olympics / Paralympics	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asian Games</li> <li>● Para Asian Games</li> <li>● Youth Olympics</li> <li>● Common Wealth Games</li> <li>● Common Wealth Games (Para Athletes)</li> <li>● Youth Asian Games</li> <li>● Other World/International Championship</li> <li>● Youth Common Wealth Games</li> <li>● Deaflympics</li> <li>● Special Olympics, IPC World Cup /Championship (Held annually or biennially)</li> <li>● IBSA World Championship</li> <li>● World University Games &amp; Other Asian/Common Wealth Championship</li> </ul>	For Representing India in Olympics, Paralympics and 4-year World championship events as <b>Winners</b>	120
				For Representing India in Olympics, Paralympics and 4-year World championship events as <b>other than Winners</b>	110
3	Grade B	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asian Games</li> <li>● Para Asian Games</li> <li>● Youth Olympics</li> <li>● Common Wealth Games</li> <li>● Common Wealth Games(Para Athletics)</li> <li>● Youth Asian Games</li> <li>● Other World International Championship</li> <li>● Youth Common Wealth Games</li> <li>● Deaflympics</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SAF Games</li> <li>● International Cricket Tournament/ One Day Tournament and Blind Cricket World Cup (held in four years) World University Games and World Youth Games/Championship.</li> </ul>	For Representing India in Asian Games, Para Asian Games, Youth Olympics, Common Wealth Games, Common Wealth Games(Para Athletics) ,Youth Asian Games, Other World international Championship, Youth Common Wealth Games Deaflympics, Special Olympics ,IPC World Cup/Championship (Held annually or biennially), IBSA World Championship Other Asian Commonwealth	100

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Special Olympics</li> <li>● IPC World Cup/Championship (Held annually or biennially)</li> <li>● IBSA World Championship</li> <li>● Other Asian Commonwealth Championship</li> </ul>		<p>Championship events as <b>Winners</b></p> <p>For Representing India in Asian Games, Para Asian Games, Youth Olympics, Common Wealth Games, Common Wealth Games(Para Athletics), Youth Asian Games, Other World International Championship, Youth Common Wealth Games ,Deaflympics, Special Olympics ,IPC World Cup/Championship (Held annually or biennially), IBSA World Championship Other Asian Commonwealth Championship events as <b>other than Winners</b></p>	90
4.	Grade C	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SAF Games</li> <li>● International Cricket Tournament/ One Day Tournament and Blind Cricket World Cup (held in four years)</li> <li>● World University Games and World Youth Games/Championship</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● National Games, National Championship</li> </ul>	<p>For Representing India in SAF Games, International Cricket Tournament/ One Day Tournament and Blind Cricket World Cup, World University Games and World Youth Games/Championship as <b>Winners</b></p> <p>For Representing India SAF Games, International Cricket Tournament/ One Day Tournament and Blind Cricket World Cup, World University Games and World Youth Games/Championship as <b>other than Winners</b></p>	80 70
5.	Grade D	<ul style="list-style-type: none"> <li>● National Games</li> <li>● National Championship</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● National School Games/Khelo India/All India Inter University Games/ All India Women Sports/ All India Rural Sports etc.</li> </ul>	<p>For Representing Himachal in National Games ,National Championship as <b>Winner</b></p> <p>For Representing Himachal in National Games ,National</p>	60 50

				<b>Championship other than Winner</b>	
6.	Grade E	<ul style="list-style-type: none"> <li>National School Games/Khelo India Inter University Games/ All India Women Sports/All India Rural Sports etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>State Games/ State Women Sports/State School/State Rural &amp;Panchayats/ State Inter University.</li> </ul>	For representing Himachal at National level or played for an institution /district unit in Himachal in National School Games/Khelo India Inter University Games/ All India Women Sports/All India Rural Sports etc. <b>as Winner</b>	40
				For representing Himachal at National level or played for an institution /district unit in Himachal in National School Games/Khelo India Inter University Games/ All India Women Sports/All India Rural Sports etc <b>other than Winners</b>	30
<b>Note: A sub –junior tournament is eligible for National School Games or Khelo India Games with following Addl weigtage</b>					
				For representing Himachal at National level or played for an institution /district unit in Himachal in National School Games or Khelo India games <b>as Winner</b>	20
				For representing Himachal at National level or played for an institution /district unit in Himachal in National School Games or Khelo India Games <b>other than Winners</b>	10

**7.5** खेल-कूद वर्ग के अन्तर्गत एक समान प्रतिशतता होने पर प्राथमिकता निम्न कम से होगी :-

- (i) खेल-कूद में विशेष योग्यता (distinction) प्राप्त प्रत्याशी को अपने वर्ग के अन्य प्रत्याशी की अपेक्षा।
- (ii) Individual events को team events की अपेक्षा।
- (iii) अधिक आयु वाले की कम आयु वाले की अपेक्षा।

**7.6** विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत प्रवेश के लिए रोस्टर प्रणाली (Roster System) अपनाई जा रही है। Roster प्रति वर्ष Carry forward किया जाएगा।

- 7.7** आई.आर.डी.पी./बी०पी०एल० परिवार से सम्बन्धित प्रत्याशियों को सरकार द्वारा जारी आई.आर.डी.पी./बी०पी०एल० प्रमाण पत्र छः मास के लिए वैध है, जिसकी वैधता काउंसलिंग की तिथि तक होनी आवश्यक है।
- 7.8** Principal Govt. Polytechnics Sundernagar & Kandaghat will inform the Director Youth Services & Sports, H.P. regarding the various types of sports and date of verification at Govt. Polytechnic, Sundernagar & Kandaghat respectively well before commencement of counselling.

## 8. आवश्यक प्रमाण पत्र

8.1 ऑनलाईन काऊंसलिंग के बाद प्रत्याशी को निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप में सम्बन्धित संस्थान की एडमिशन कमेटी को प्रस्तुत करने होंगे तथा इनकी सत्यापित (Self Attested) प्रतियाँ सम्बन्धित संस्थान की एडमिशन कमेटी के पास जमा करवानी अनिवार्य होगी:—

- हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सम्बन्धित वर्ष की बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा (PAT-2025) / लेट्रल एंट्री प्रवेश परीक्षा (LEET-2025) की अंक तालिका एवं प्रवेश पत्र तथा डी0 फार्मैसी हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र ।
- जन्म तिथि के प्रमाण हेतु बोर्ड / स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र ।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु बोर्ड / यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र ।
- हिमाचल प्रदेश का Bonafide/Domicile होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- आरक्षित वर्ग व उपवर्ग के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उस वर्ग/उपवर्ग से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र ।
- हि. प्र. में कार्यरत् सैनिकों के बच्चों को उनके माता या पिता के हिमाचल प्रदेश में कार्यरत् होने बारे कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- Tuition Fee Waiver Scheme (TFW) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु सभी स्रोतों से प्राप्त आमदनी (Income from all sources) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु सभी स्रोतों से प्राप्त आमदनी (Income from all sources) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- बेटी है अनमोल योजना में प्रवेश हेतु अभिभावक द्वारा एक पुत्री होने की undertaking ।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विधवा होने का प्रमाण पत्र ।
- स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और यदि पिछली स्कूली शिक्षा के बाद की अवधि के बीच में अंतर हो तो Self attested undertaking जिसमे यह लिखा हो की छात्र/छात्रा किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधी मे संलिप्त नही है ।
- आधार कार्ड की प्रतिलिपि ।
- बैंक अकाऊट नम्बर और आई0एफ0एस0सी0 नम्बर ।
- घोषणा पत्र परिशिष्ट-। के अनुसार ।
- स्वास्थ्य सम्बन्धित (Medical Fitness) प्रमाण पत्र ।
- Selection letter/offer letter of the applicant.

- 8.2** प्रत्याशी को आवेदन पत्र में सत्य सूचना देनी चाहिए और यदि कोई सूचना किसी भी समय गलत / झूठी पाई गई तो विद्यार्थी को संस्थान से निकाला जा सकता है । यदि कोई प्रत्याशी प्रवेश पाने में गलत ढंग अपनाता है या उसके प्रमाणपत्र की मूल / वास्तविक/ अधिप्रमाणित प्रतियों में किसी प्रकार की tempering पाई जाती है, तो उसका प्रवेश तत्क्षण रद्द कर दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही भी की जाएगी ।
- 8.3** यदि प्रत्याशी ने गलत / झूठे प्रमाण-पत्र पेश करके हिमाचल प्रदेश के राजकीय/निजी बहुतकनीकी संस्थानों में दाखिला ले लिया हो तो उसका पता लगते ही उस संस्थान के प्रधानाचार्य को यह पूर्ण अधिकार होगा कि उस प्रत्याशी / छात्र के दाखिले को तुरन्त रद्द कर दें और यदि उचित समझे तो इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं ।

## 9. आवेदन करने/प्रवेश प्राप्त करने हेतु विधि (Procedure for Applying / Getting Admission)

- 9.1 इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार कृपया "अति आवश्यक सूचनाएं एवं निर्देश" का गहन अध्ययन करें ।
- 9.2 अध्याय-5 के अन्तर्गत दर्शाए गए किसी भी वर्ग (Category) तथा उप आरक्षित वर्ग (Sub reserved Category) के लिए प्रत्याशी को केवल आनलाईन ही आवेदन करना होगा। सम्बन्धित वर्ग के प्रमाण में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। Physically Handicapped sub-category के प्रशिक्षण योग्य प्रत्याशियों (जिनमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं) का सम्बन्धित मैडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 9.3 इस पुस्तिका में उल्लेखित चयन विधि अनुसार प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी । प्रवेश कार्यक्रम को अलग से समाचार पत्रों में छपवाया जायेगा तथा कार्यक्रम हि0प्र0 तकनीकी शिक्षा बोर्ड की वेबसाईट (Website) पर उपलब्ध होगा । इस हेतु प्रत्याशी को अलग से पत्राचार द्वारा सूचित नहीं किया जायेगा। अतः हि0 प्र0 तकनीकी शिक्षा बोर्ड की web-site का अवलोकन समय समय पर किया जा सकता है ।
- 9.4 प्रवेश हेतु आने वाले किसी भी प्रत्याशी को टी.ए./डी.ए. नहीं दिया जाएगा।
- 9.5 प्रवेश के लिए इच्छुक प्रत्याशियों को प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समयावधि एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों तथा Nomination seats (In case seats are allotted by the Govt. of India, MHRD/AICTE) के लिए इच्छुक प्रत्याशी तीन Pass Port Size Photographs (un-attested) सहित हाजिर होना होगा। यदि अधिसूचित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को प्रवेश सम्पन्न न हो सके तो प्रत्याशियों को over stay करना पड़ सकता है । जो प्रत्याशी योग्यता एवं वर्गानुसार विवरण पुस्तिका में अधिसूचित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समयावधि एवं स्थान पर अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित, प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होंगे तो बाद में उसका प्रवेश हेतु कोई भी अधिकार नहीं होगा ।
- 9.6 दाखिला के लिये चुने गये सभी प्रत्याशियों को निर्धारित तिथि तक अपनी-अपनी कक्षा में अपनी उपस्थिति कक्षा के हाजरी रजिस्टर में दर्ज करवानी होगी। लगातार दस कार्यकारी दिवसों (Working Days) तक अनुपस्थित रहने पर प्रत्याशी का नाम संस्थान के रजिस्टर से काट दिया जायेगा । इस प्रकार नाम कटे विद्यार्थी को, सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा यह विश्वास हो जाने पर कि विद्यार्थी की अनुपस्थिति उसके नियन्त्रण से बाहर थी तो सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा उस विद्यार्थी से 1000/- रूपय Late Fee/Penalty लेकर उसे उसी समैस्टर में प्रवेश दिया जा सकता है यदि कोई विद्यार्थी एक महीने से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसे अगले वर्ष उसी समैस्टर में प्रवेश दिया जा सकता है ।
- 9.7 प्रवेश के लिए चयनित प्रत्याशियों को वरीयता एवं वर्ग के आधार पर ही उपलब्ध शाखा एवं स्थान आवंटित किए जायेंगे ।

## 10. प्रवास (Migration)

**10.1** प्रवास के लिए निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के प्रधानाचार्य के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा प्रवास शुल्क के रूप में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर के नाम देय हो, साथ लगाना होगा। Migration shall be allowed at the level of Directorate of Technical Education on consideration of the pecuniary condition, merit and balance of convenience. There will be no migration from Pvt. Polytechnic to Govt. Polytechnic (Auth – EDN (TE) E (1) 13 / 2010 dated 05-03-2012).

**A. Migration process for Govt. Institution to Govt. Institution:** The applicant shall submit the migration application form where he/she is studying alongwith required migration fee amounting to Rs. 500/- per student in shape of Demand Draft addressed to the Director, Technical Education, H.P. payable at Sundernagar and then the Principal of that Polytechnic shall forward this application directly to the Directorate alongwith migration fee. Finally the migration application shall be processed by the Directorate of Technical Education, H.P. on the availability of vacant seat in the same course as per the provisions/rules mentioned under Clause No. 10.1 referred above. The migration application shall be considered for the semester/session for which the applicant has applied. For next/other semester/session student has to apply afresh. Principal of Institute shall ensure that the single migration form shall be admissible for migration with the requisite fee to one Polytechnic only. If students desires to apply for migration to another polytechnic then he/she has to fill separate migration form with requisite fee.

**B. Migration process for Govt. Institution to Pvt. Institution and Pvt. Institution to Private Institution :** The migration shall be processed on the receipt of application in the Directorate and availability of vacant seat in the same course. The migration fee of Rs. 500/- per student shall be charged for migration between Govt. Polytechnic to Private Polytechnic and Rs. 1000/- per student shall be charged for migration between Private to Private Polytechnics. Migration fee shall be paid in shape of Demand Draft addressed to the Director, Technical Education, H.P. payable at Sundernagar. The migration application shall be considered for the semester/session for which the applicant has applied. For next/other semester/session student has to apply afresh.

**10.2** प्रवास शुल्क के बिना प्रवास आवेदन-पत्र अपूर्ण समझा जायेगा तथा नामंजूर किया जा सकता है। प्रवास शुल्क किसी भी हालत में वापिस नहीं होगा। प्रवास केवल स्थानों की उपलब्धता पर ही प्रदान किया जा सकता है। प्रदेश में स्थित किसी निजी बहुतकनीकी से राजकीय बहुतकनीकी में प्रवास की अनुमति नहीं होगी।

**10.3** No migration is allowed in 6<sup>th</sup> semester.

## 11. Session

- 11.1 अध्ययन काल 1 अगस्त से आरम्भ होगा तथा वर्ष को निम्नलिखित दो अर्ध वर्षों में बांटा गया है:-

**The Following Sessions have been fixed tentatively and may be revised/amended as per AICTE instructions to be issued for the academic year 2025-26.**

पहला अर्धवार्षिक                      1 अगस्त से 31 दिसम्बर तक  
(1 August to 31<sup>th</sup> December)

दूसरा अर्ध वार्षिक                      27 जनवरी से 30 जून तक  
(27<sup>th</sup> January to 30<sup>th</sup> June)

- 11.2 यदि प्रवेश प्रक्रिया समय पर सम्पन्न न हो सकने के कारण प्रथम वर्ष की कक्षा, सत्र शुरू होने की निर्धारित तिथि तक शुरू न हो सके, तो प्रथम वर्ष की कक्षा के लिए तिथि का निर्धारण अलग से निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

## 12. Holidays and Vacations

- 12.1 बहुतकनीकी संस्थानों में निम्नलिखित छुट्टियां और अवकाश मनाये जायेंगे :-
- (क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष (Calender Year) में घोषित सभी राजपत्रित छुट्टियां।
  - (ख) प्रत्येक मास का दूसरा शनिवार।
  - (ग) दीर्घावकाश प्रतिवर्ष दो बार अर्थात् एक बार 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा दूसरी बार 1 जनवरी से 26 जनवरी तक या निदेशक, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्णय अनुसार।  
दिपावली उत्सव अवकाश 3 दिन (to be adjusted as prefix with the Diwali Festival)।
  - (घ) प्रधानाचार्य अपनी इच्छा से प्रत्येक सत्रकाल में विशेष अवसरों पर जैसे कि वार्षिकोत्सव या किसी अतिथि विशेष के आगमन इत्यादि पर अधिकतम 3 छुट्टियां कर सकते हैं।
- 12.2 संस्थानों में कार्यरत teaching faculty से सम्बन्धित स्टाफ को परीक्षाओं से पहले, छात्रों को तैयारी की छुट्टियां (Preparatory Holidays) होने के साथ ही Staggered हालत में निर्धारित अवधि हेतु ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer Vacation) तथा शीतकालीन अवकाश (Winter Vacation) प्रदान किया जायेगा। संस्थान के प्रधानाचार्य स्टाफ के उन सभी कर्मचारियों, जिन की परीक्षाओं में ड्यूटी होगी अथवा जिनकी कार्य विशेष हेतु आवश्यकता होगी, की Detainment कर सकते हैं तथा बाकि सभी को दीर्घावकाश दिया जायेगा और दीर्घावकाश की निर्धारित अवधि के उपरान्त अपने अपने संस्थान में कार्य पर उपस्थित होना होगा। यह व्यवस्था सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा इस प्रकार की जायेगी कि संस्थान में हर समय आवश्यकतानुसार स्टाफ उपलब्ध रहे ताकि प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं का रख रखाव तथा दूसरे आवश्यक कार्य ठीक प्रकार से हो सके।

### 13. उपस्थिति का समय (Hours of Attendance)

13.1 बहुतकनीकी संस्थानों में कार्यकारी दिवसों (Working days) में निम्नलिखित समय अपनाया जायेगा:-

सुबह 9.00 से सांय 5:00 बजे तक जिसमें कि दोपहर के भोजन के लिए एक घण्टा निश्चित है।

13.2 पूर्ण वर्ष में एक जैसा समय अपनाने की कोशिश की जायेगी। प्रधानाचार्य महोदय इस निश्चित समय को स्थानीय स्थितियों/परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यदि आवश्यकता हो तो निदेशक तकनीकी शिक्षा की अनुमति से स्थिति अनुसार उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं।

13.3 Pharmacy Council of India (PCI) के मानदण्डों के अनुसार 180 दिनों का प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य होगा। वार्षिक परीक्षा के लिए 75 प्रतिशत उपस्थितो अनिवार्य है।

## 14. शुल्क व अन्य व्यय तथा सम्बन्धित नियम (Fee and other Charges and their Rules )

- 14.1** हिमाचल प्रदेश के राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को निम्नलिखित शुल्क तथा दूसरे व्यय इत्यादि प्रदेश सरकार द्वारा जारी **Student Welfare Fund Rules 2025** की अधिसूचना संख्या **EDN (TE) C (5)-1/2014-L dated 06/03/2025** तथा **addendum issued vide No. EDN (TE) C (5)-1/2014-L on dated 25/03/2025** अनुसार देने होंगे:-

### 14.2

Sr. No.	Institutions Charges	Rs.
<b>1.</b>	<b>Fee</b>	
	(i) Admission fee (one time payable at the time of admission)	250-00
	(ii) Tuition Fee (payable in the beginning of each semester)	1500-00
	(iii) Hostel Rent (payable in the beginning of each semester)	600-00
	<b>Total</b>	<b>2350-00</b>
<b>2.</b>	<b>Student Welfare Funds (Payable on one time)</b>	
	(i) Institutional Security (Refundable) (One Time)	1000-00
	(ii) Identity Card (Rs. 100/- shall be charged for duplicate Identity Card)	50-00
	(iii) Library Security (Refundable)	500-00
	<b>Total</b>	<b>1550-00</b>
<b>3.</b>	<b>Annual Charges</b>	
	(i) Annual Festival / Cultural Charges	200-00
	(ii) Magazine fee	100-00
	(iii) NCC Charges (for institutions where NCC wing is existing)	100-00
	(iv) Corpus Fund	20-00
	<b>Total</b>	<b>420-00</b>
<b>4.</b>	<b>Half Yearly Charges (Per semester)</b>	
	(i) Library Fee	200-00
	(ii) Medical Fee	100-00
	(iii) Examination fee (internal exam)	300-00
	(iv) Institution fee (internal exam)	1000-00
	(v) Computer Fee	500-00
	(vi) Industrial Visit Charges	150-00
	(vii) Training & Placement Fee (per semester)	300-00
	(viii) Hostel Security (Refundable) ( <b>applicable for Hostellers only</b> )	1500-00
	(ix) Electricity & Water Charges ( <b>applicable for Hostellers only</b> )	600-00
	(x) Maintenance Charges ( <b>applicable for Hostellers only</b> )	750-00
	(xi) Medical Charges ( <b>applicable for Hostellers only</b> )	100-00
	(xii) Development Fund	500-00
	(xiii) Sports & Cultural Fund	150-00
	<b>Total</b>	<b>6150-00</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>10470-00</b>

**Note:** LIC Group Insurance of the Students pursuing Technical Education. Premium of Rs. 118/- inclusive of service Tax have to be deposited in the office of Institute where the student has been admitted for the LIFE COVER of Rs. 100,000/- per student per annum as per reference dated **30-12-2024** received from Branch Manager (P&GS), LIC of India, Unit Shimla (H.P.). As per scheme all students aged between 08 to 30 Years are eligible to be covered and this life insurance scheme covers death due to any reason.

**14.2.1 Fee-Structure, Hostel & Mess Charges of Pvt. Polytechnics/D. Pharmacy Institutions (Ref. Notification No. EDN (TE) A (4) 8/2013, dated 11-10-2022)**

**A. Fee Structure for diploma in Engineering /Architecture courses**

**i. Non-Recurring Charges (one-time charges in 3 years)**

S.No.	Description	Charges (In Rs.)
1	Registration and Admission Fee	1320.00
2	College Security (Refundable)	1100.00
3	Library Security (Refundable)	2200.00

**ii. Annual Recurring Charges**

S.No.	Description	Charges (In Rs.)
1.	Development Fee	4620.00
2	Computer/Internet charges	1320.00
3	H.P. Takniki Shiksha Board Examination fee	As fixed by the H.P.T.S. Board

**iii. Institution-wise Tuition Fee per Annum (payable in two instalments at the beginning of each semester):**

Sr. No	Name of Institution	Tuition Fee (In Rs.)
1	Green Hills Polytechnic Kumarhatti, Solan, H.P.	38500.00
2	KC Polytechnic Pandoga Uprella, Distt. Una, H.P.	31900.00
3	Dreamz Polytechnic, Village-Khilra, PO.-Meramasit, Tehsil-Sunder agar, Distt. Mandi, H.P.	31900.00
4	SIRDA Polytechnic Naulakha, Village Troat, PO.-Kanaid Bazar, Distt. Mandi, H.P.	31900.00
5	L.R. Polytechnic Jabli Kyar, Tehsil Oachghat, Distt. Solan, H.P.	38500.00
6	Himachal Institute of Engineering & Technology, Pritam Nagar, Shahpur, Distt. Kangra, H.P.	38500.00
7	Vaishno College of Engineering, Village Thapkur, P.O. Bhadroya, Tehsil Nurpur, Distt. Kangra, H.P.	31900.00
8	T.R. Abhilashi Memorial Institute of Engineering & Technology, Head Office, Ner Chowk, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, H.P.	38500.00

## B. Fee structure for Private Diploma in Pharmacy course:

### i. Non-Recurring Charges (one-time charges in 2 years)

Sr. No.	Description	Charges (In Rs.)
1	Registration and Admission Fee	1320.00
2	College Security (Refundable)	1100.00
3	Library Security (refundable)	2200.00

### ii. Annual Recurring Charges

S.No.	Description	Charges (In Rs.)
1.	Development Fee	4620.00
2.	Computer/Internet charges	1320.00
3	H.P. Takniki Shiksha Board Examination fee	As fixed by the H.P.T.S. Board

### iii. Institution-wise Tuition Fee per Annum (payable in two instalments at the beginning of each semester):

Sr. No.	Name of Institutions	Tuition Fee (In Rs.)
1	Shanti Niketan College of Pharmacy, Village Ratti, Tehsil-Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.	38500.00
2	Himalyan Institute of D. Pharmacy Kala-Amb, Distt. Sirmaur, H.P.	31900.00
3	KC Polytechnic Pandoga Uparela, Tehsil & Distt. Una, H.P.	31900.00
4	SIRDA Polytechnic Naulakha, Vill-Troat, P.O. Kanaid Bazar, Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.	31900.00
5	Laureate Institute of Pharmacy Kathog, (Jawalaji), Tehsil Dehra, Distt. Kanga, H.P	31900.00
6	Shiva Institute of Pharmacy, Vill. Luhanoo Kanaitan, PO-Chandpur, The. Sadar, Distt. Bilaspur	31900.00

7	Dreamz College of Pharmacy Khilra, P.O. Meramasit, Tehsil- Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.	31900.00
8	Vinayaka Institute of Pharmacy, Village Saithal P.O. Rajwari, Tehsil Balh Distt. Mandi H.P.	31900.00
9	Minerva College of Pharmacy Village Changrara P.O. Bhapoo Tehsil Indora, Distt. Kangra H.P.	31900.00
10	Aakash Institute of Medical Sciences, Opposite Radha Swami Bhawan, Pinjore Road, Nalagarh, Solan H.P.	31900.00
11	Gautam College of Pharmacy, Ward No. 10, Near Bus Stand Hamirpur, Hamirpur H.P.	31900.00
12	L.R. Institute of Pharmacy Jabli Kyar P.O. Ochghat Distt. Solan H.P.	31900.00
13	Himachal Institute of Pharmacy Paonta Sahib Distt. Sirmour H.P.	31900.00
14	Priyadarshni College of Pharmacy Rait Distt. Kangra, H.P.	31900.00
15	DDM College of Pharmacy, Gondpur Banehra (upper) Distt. Una H.P.	31900.00
16	Green Hills Pharmacy College, Kumarhatti, Distt Solan, H.P.	31900.00
17	Shaheed Bhagat Singh College of Pharmacy, Palampur, District Kangra, H.P.	31900.00

**C. Mess Charges and Hostel Rent etc. (to be charged from Hostellers only) in respect of the following institutions:**

**i. Private Polytechnics & Institutions conducting Diploma in Engineering/Architecture Courses**

Sr. No.	Name of Institution	Accumulative fee for Hosteller (Mess Charges, Hostel Rent including Electricity & Water Charges, Hostel Magazine, News Paper, Indoor Games, Maintenance charges, Utensils, Furniture, Hostel Security & Mess Security etc) (ANNUAL FEE)
1	Green Hills Polytechnic Kumarhatti, Solan, H.P.	57420.00
2	KC Polytechnic Pandoga, Uprella, Distt. Una, H.P.	55300.00
3	Dreamz Polytechnic, Village-Khilra, P.O.-Meramasit, Tehsil-Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.	52200.00
4	SIRDA Polytechnic Naulakha, Village Troat, PO.-Kanaid Bazar, Distt. Mandi, H.P.	57420.00
5	L. R. Polytechnic Jabli Kyar, Tehsil Oachghat, Distt. Solan, H.P.	57420.00
6	Himachal Institute of Engineering & Technology Pritam Nagar, Shahpur, Distt. Kangra, H.P.	57420.00
7	Vaishno College of Engineering, Village Thapkour, P.O. Bhadroya, Tehsil Nurpur, Distt. Kangra, H.P.	57420.00
8	T. R. Abhilashi Memorial Institute of Engineering & Technology, Head Office, Ner Chowk, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, H.P.	57420.00

ii. **Private Polytechnics/Institutions conducting diploma in Pharmacy course.**

Sr. No.	Name of Institutions	Accumulative fee for Hosteller (Mess Charges, Hostel Rent including Electricity & Water Charges, Hostel Magazine, news paper, indoor games, maintenance charges Utensils, furniture, Hostel Security & Mess Security etc) <b>(ANNUAL FEE)</b>
1	Shanti Niketan College of Pharmacy, Village Ratti, Tehsil-Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.	52200.00
2	Himalyan Institute of D. Pharmacy Kala-Amb, Distt. Sirmaur, H.P.	57420.00
3	KC Polytechnic Pandoga Uparela, Tehsil & Distt. Una, H.P.	55300.00
4	SIRDA Polytechnic Naulakha, Vill-Troat, P.O. Kanaid Bazar, Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.	57420.00
5	Laureate Institute of Pharmacy Kathog, (Jawalaji), Tehsil Dehra, Distt. Kanga, H.P	52200.00
6	Shiva Institute of Pharmacy, Vill. Luhanoo Kanaitan, PO-Chandpur, The. Sadar, Distt. Bilaspur, H.P.	57420.00
7	Dreamz College of Pharmacy Khilra, P.O. Meramasit, Tehsil-Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.	52200.00
8	Vinayaka Institute of Pharmacy, Village Saithal P.O. Rajwari, Tehsil Balh Distt. Mandi H.P.	52200.00
9	Minerva College of Pharmacy Village Changrara P.O. Bhapoo Tehsil Indora, Distt. Kangra H.P.	52200.00
10	Aakash Institute of Medical Sciences, Opposite Radha Swami Bhawan, Pinjore Road, Nalagarh, Solan H.P.	52200.00
11	Gautam College of Phrmacy, Ward No. 10, Near Bus Stand Hamirpur, Hamirpur H.P.	48000.00
12	L.R. Institute of Pharmacy Jabli Kyar P.O. Ochghat Distt. Solan H.P.	57420.00
13	Himachal Institute of Pharmacy Paonta Sahib Distt. Sirmour H.P.	52200.00
14	Priyadarshni College of Pharmacy Rait Distt. Kangra, H.P.	52200.00
15	DDM College of Pharmacy, Gondpur Banehra (upper) Distt. Una H.P.	53200.00
16	Green Hills Pharmacy College, Kumarhatti, Distt Solan, H.P.	57420.00
17	Shaheed Bhagat Singh College of Pharmacy, Palampur, District Kangra, H.P.	48000.00

**D. MSME Technology Centre Baddi Fee structure for diploma courses.**

<b>Type of Fee &amp; Charges.</b>		
<b>Sr. No.</b>	<b>Details</b>	<b>Amount</b>
1.	To be deposited at the time of Admission	
	a. Admission & Registration Fee	1200.00
	b. Tuition Fee (per annum) can be paid quarterly.	38500.00
2.	To be Deposited once at the time of joining	
	a. Stationary charges	1000.00
	b. Computer/internet fee/indoor games	1000.00
3	To be deposited annually in TC Baddi	
	a. Development Welfare Fund	4500.00
	b. Student activity-games, sports, recreation, Entertainment.	2000.00
4.	Refundable Security to be deposited at the time of joining	
	a. Institution Security	1000.00
	b. Hostel Security	1000.00
	c. Mess Security	1000.00
	d. Library Security	1000.00
5.	Hostel Charges (Monthly for Hostler only)	
	a. Room Rent	1000.00
	b. Canteen	2500.00

**Above fixation of fee/funds/charges will be subject to the following terms and conditions:**

1. The minimum of the fee structure (concerning course) mentioned above shall be applicable to new Institutions.
2. No Institution will charge any amount over and above the fee structure fixed herein and any violation in this regard would tantamount to charging a capitation fee inviting de-recognition and dis-affiliation of the defaulting institution.
3. The institution concerned has to appoint a sufficient number of teaching faculty and other supporting staff strictly as per norms of AICTE/PCI/COA and deficiencies, if any, noticed during the inspection will be removed without any loss of time and further it would also be ensured that duly qualified teaching staff and/or technicians are employed to impart proper teaching and training to the students.

4. The above fixation of the fee is further subject to the condition that institutions should be duly recognized by the AICTE/PCI/COA and also affiliated by the H.P. Takniki Shiksha Board/H. P. Technical University as the case may be.
5. The Institution(s) has to ensure that quality and hygienic food is provided to the students and a weekly menu of mess is displayed on Mess Notice Board. It may also be ensured that the kitchen and dining hall are neat and clean.
- 14.3 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में उपरलिखित शीर्षक 14.2 में वर्णित विद्यार्थी कल्याण निधि शुल्क (Student Welfare Fund) के अंतर्गत खेलकूद चलचित्र और आमोद प्रमोद, दीर्घ भ्रमण, वार्षिक उत्सव शुल्क, बिजली के बल्बों का मूल्य, छात्रावास के बर्तन और विद्यार्थियों के लिए अन्य सुविधाएं इत्यादि देने का प्रयोजन है। यह एक गैर सरकारी चन्दा है जो कि सम्बन्धित बहुतकनीकी संस्थानों के प्रधानाचार्य द्वारा छात्र कल्याण निधि के नियमों के अन्तर्गत नियन्त्रित किया जाता है।
- 14.4 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में भोजन का प्रबन्ध विद्यार्थी सहकारिता के आधार पर स्वयं करते हैं जिसका पर्यवेक्षण (Supervision) प्रधानाचार्य द्वारा, इस उद्देश्य हेतु नियुक्त संस्थान के एक या दो कर्मचारी करते हैं। भोजनालय समिति (Mess Committee) अग्रिम राशि के रूप में 1200/- रुपये लेती है जिसका समायोजन विद्यार्थी के छात्रावास छोड़ने पर किया जाता है।
- 14.5 शुल्क / जमानतों का आरोपण बिना सूचना परिवर्तित किया जा सकता है।
- 14.6 प्रवास चाहने वाले विद्यार्थियों को सारे शुल्क इत्यादि देने होंगे, जोकि उसने उस बहुतकनीकी संस्थान में नहीं दिए, जहां से कि वह प्रवास करवा कर आया हो और जो वहां उसको देने शेष रह गए हों।
- 14.7 सरकार के निर्णय अनुसार राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 40 प्रतिशत एवं इससे अधिक विकलांगता वाले सभी विकलांग प्रशिक्षणार्थियों को शैक्षणिक शुल्क एवं प्रवेश शुल्क (Tuition Fee and Admission Fee) से छूट होगी।
- 14.8 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही सभी महिला प्रशिक्षणार्थियों को शैक्षणिक शुल्क (Tuition Fee) की छूट होगी।
- 14.9 विद्यार्थियों को छात्रावास तथा संस्थान छोड़ने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर अपनी सभी सैक्योरिटिज (छात्रावास तथा संस्थान इत्यादि) वापिस लेनी होंगी। इस समय के दौरान वापिस न ली जाने वाली सैक्योरिटिज जब्त हो जायेंगी और विद्यार्थियों को निश्चित अवधि के बाद इन सैक्योरिटिज पर कोई अधिकार नहीं होगा तथा इस प्रकार रही अदत राशि विद्यार्थी निधि शुल्क के अन्तर्गत जमा कर दी जायेगी।
- 14.10 प्रत्येक समैस्टर की कक्षायें समैस्टर के प्रथम कार्यकारी दिवस से ही आरम्भ होंगी और पिछले समैस्टर में परीक्षा में बैठे नियमित प्रशिक्षणार्थियों के नाम अगले समैस्टर के हाजरी रजिस्टर में चढ़ा दिये जायेंगे और प्रशिक्षणार्थियों की हाजरी प्रथम दिवस से ही लगनी शुरू हो जायेगी।
- (i) उपरोक्त शुल्क जो समैस्टर आरम्भ होने पर देय हैं वे सभी शुल्क नीचे दिये गये प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

क	समैस्टर आरम्भ होने की तिथि से प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों तक	बिना किसी विलम्ब शुल्क के
ख	अगले पांच कार्यकारी दिवसों में	50 रु० प्रतिदिन के विलम्ब शुल्क सहित

तदोपरांत प्रशिक्षणार्थी का नाम संस्थान से काट दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में यदि प्रधानाचार्य प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रस्तुत कारणों से पूर्णतयः संतुष्ट हों तो उपरोक्त विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त 1000/- रू० पुनः प्रवेश शुल्क लेकर उपरोक्त दस कार्यकारी दिवसों को मिलाकर कुल 21 कार्यकारी दिनों के भीतर उसे पुनः प्रवेश दे सकते हैं।

- (ii) जो प्रशिक्षणार्थी संस्थान से नाम कट जाने के उपरांत प्रवेश नहीं लेते / ले पाते हैं तो वे अगले वर्ष केवल उसी समैस्टर में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- (iii) पाठ्यक्रम से सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक भ्रमण पर गये प्रशिक्षणाधियों के लिए फीस देने से सम्बन्धित उपरोक्त प्रावधान नियम 14.10 (i) उनके औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र/ शैक्षणिक भ्रमण से भारमुक्त (Relieve) होने के 03 दिन बाद से लागू होंगे।

## 15. शैक्षणिक भ्रमण (EDUCATIONAL TOUR)

- 15.1 प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जायेगा । यह भ्रमण इंजीनियरिंग एवं सामान्य रुचियों के विभिन्न स्थानों से सम्बन्धित होगा । प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रधानाचार्य द्वारा बनाए गए कार्यक्रमानुसार शैक्षणिक भ्रमण पर जाना होगा । कन्याओं/महिलाओं को लड़कों के साथ लम्बे शैक्षणिक भ्रमण पर जाने से छूट होगा तथा इसके बदले उन्हें स्थानीय औद्योगिक इकाइयों/कर्मशालाओं के अल्पकालीन भ्रमण (Short Tour) के उपरान्त अपनी **(Project Report)** प्रस्तुत करनी होगी । प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों की प्रदेश के साथ लगती औद्योगिक इकाइयों/परियोजनाओं के लघु भ्रमण के लिए जाना होगा जिसका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा बनाया जायेगा ।

## 16. परीक्षाएं (EXAMINATIONS)

- 16.1 प्रत्येक अर्ध वषीय पाठ्यक्रम/वार्षिक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती हैं तथा तकनीकी शिक्षा द्वारा निर्धारित परीक्षा नियमों के अंतर्गत निश्चित दरों के अनुसार परीक्षा शुल्क इत्यादि दिये जाते हैं । यह शुल्क तथा नियम किसी भी समय बिना सूचना के बदले जा सकते हैं ।
- 16.2 प्रत्येक अर्ध वषीय पाठ्यक्रम/वार्षिक पाठ्यक्रम की बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में बैठने हेतु पात्र होने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी पर हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा समय समय पर **Attendance/Sessional** इत्यादि से सम्बन्धित जारी किये गये निर्देश/नियम लागू होंगे । इन नियमों की प्रतिलिपि प्रधानाचार्य के कार्यालय में उपलब्ध होंगी ।

## 17. सामान्य नियम एवं विनियम (General Rules and Regulations)

- 17.1 प्रत्येक विद्यार्थी को बहुतकनीकी संस्थान में व्यवहारिक नियमों का पालन करना होगा ताकि वह उन सुविधाओं का पूरा पूरा लाभ उठा सके जो कि उसे प्रदान की गई हैं। यह नियम केवल मात्र विद्यार्थी एवं उसके सहपाठियों की भलाई और उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। इसको बिना सूचना दिये समय समय पर बदला जा सकता है। विद्यार्थियों को चाहिये कि प्रतिदिन की सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करें। नियमों की अज्ञानता के कारण इसका उल्लंघन करना माफ नहीं होगा।
- 17.2 यदि प्रथम काउंसलिंग से प्रवेशित विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक सभी शुल्क सम्बन्धित संस्थान में जमा करके प्रवेश प्राप्त नहीं करता है, तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा तथा इस प्रकार खाली हुई सीट को भी **Next Round of Counselling** में नियमानुसार भर दिया जाएगा।
- 17.3 विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे सब से सद्व्यवहार करें और अपने समकक्ष और सहपाठियों के साथ सम्मानपूर्वक रहें। संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को पूर्ण अधिकार है कि वह विद्यार्थियों के गलत व्यवहार को रोकें, चाहे वे संस्थान के अन्दर या बाहर हों और ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को उनकी आज्ञा का पालन करना होगा।
- 17.4 उंची आवाज में बोलना और बिना उद्देश्य से घूमना, जिससे कि दूसरों के लिए नाराजगी तथा असुविधा पैदा हो, बिल्कुल वर्जित है।
- 17.5 संस्थान या छात्रावास की सीमा के अन्दर, धूम्रपान, मद्यपान और जुआ खेलने, चरित्रहीनता इत्यादि नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई भी छात्र इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको प्रधानाचार्य द्वारा उपयुक्त जुर्माना किया जायेगा और आदतन नियमों का उल्लंघनकर्ता को संस्थान से निकाला जा सकता है।
- 17.6 कक्षा में देर से पहुंचना या कक्षा से पहले ही उठकर चले जाने पर उस पीरियड के लिए विद्यार्थी को अनुपस्थित समझा जायेगा।
- 17.7 किसी उपकरण से अनावश्यक छेड़छाड़ करना या बिना आज्ञा किसी विभाग में प्रवेश करना वर्जित होगा।
- 17.8 किसी भी विद्यार्थी का संस्थान के कर्मचारियों पर कोई अधिकार नहीं होगा।
- 17.9 सामान, मशीनों और सब प्रकार के यन्त्र, औजार और उपकरण प्रयोग के बाद यथा स्थान पर रखे जाएं। अगर ये प्रयोग के समय नष्ट हो गये हों तो इन्वार्ज को इसकी तुरन्त सूचना देनी होगी। असावधानी से अथवा जानबूझ कर नष्ट किये गये यन्त्रों, औजारों या दूसरे उपकरणों का मूल्य चूककर्ता को चुकाना होगा तथा साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित जुर्माना देना होगा।
- 17.10 सब विद्यार्थियों को उनके लिए निश्चित किये भ्रमण कार्य पर जाना आवश्यक होगा और उनको 14 दिन के अन्दर अन्दर अपने भ्रमण कार्य के विवरण की टिप्पणी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करनी होगी।
- 17.11 बहुतकनीकी संस्थान के प्रांगण में किसी विद्यार्थी के सामान या सम्पत्ति इत्यादि के खो जाने या नष्ट हो जाने की संस्थान पर कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
- 17.12 विद्यार्थियों को अपने प्रति सभी प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। यदि संस्थान के छात्रावास, कार्यशाला या प्रयागशाला में किसी विद्यार्थी के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो संस्थान पर उसकी जिम्मेवारी नहीं होगी।
- 17.13 प्रत्येक विद्यार्थी को संस्थान में अपने अध्ययन का पूरा ध्यान रखना होगा यदि कोई विद्यार्थी अध्ययन कार्य संतोषजनक नहीं करेगा तो उसे संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा।

- 17.14 यदि कोई विद्यार्थी चरित्रहीन हो जाए या अपने कार्य को ध्यान पूर्वक न करे या संस्थान के अधिकारियों की आज्ञा का पालन न करे तो उसे उचित जुर्माना किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त उसे संस्थान से निकाला जा सकता है।
- 17.15 प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी से 50/- रुपये लेकर पहचान पत्र दिया जायेगा। पहचान पत्र के गुम हो जाने पर विद्यार्थी को अविलम्ब सूचना देनी होगी और उससे पुनः 100/- रुपये लेकर Duplicate पहचान पत्र दिया जायेगा। पहचान पत्र के गुम होने की सूचना न देने तथा बाद में इसका पता लगने पर विद्यार्थी को कड़ी चेतावनी के साथ जुर्माना भी हो सकता है।
- 17.16 प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी धनराशि स्थानीय डाकघर या बैंक में जमा करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार धन निकलवाना चाहिए। विद्यार्थी की धनराशि के गुम या चोरी होने पर संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा।
- 17.17 प्रधानाचार्य की आज्ञा के बिना संस्थान में किसी प्रकार के संगठन या सम्मेलन इत्यादि का आयोजन नहीं किया जायेगा।
- 17.18 संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों या नियमों के विषय में प्रधानाचार्य का निर्णय अन्तिम एवं सभी विद्यार्थियों के लिए मान्य होगा।
- 17.19 यदि किसी भी समय प्रधानाचार्य के ध्यान में यह बात आए कि अमुक विद्यार्थी ने संस्थान में प्रवेश पाने या छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु किसी जाली प्रमाण-पत्र या गलत तरीकों का प्रयोग किया है तो उसे संस्थान से निष्कासित किया जायेगा और इसके अलावा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। यदि इस अनुपयुक्त विधि से किसी विद्यार्थी ने छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त कर ली हो तो वह भी उसे ब्याज सहित वापिस करनी पड़ेगी।
- 17.20 सभी पाठ्यक्रमों हेतु हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित सभी नियम/ विनियम एवं निर्देश लागू होंगे तथा सभी छात्रों पर बाध्य होंगे।
- 17.21 प्रशिक्षणार्थी द्वारा अनुचित व्यवहार करने पर जैसे कि संस्थान/छात्रावास की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा संस्थान के कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने अथवा अमद्र व्यवहार इत्यादि करने पर अथवा संस्थान के नियमों को जानबूझ कर भंग करने इत्यादि पर सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा प्रशिक्षणार्थी को विशेष जुर्माना अथवा संस्थान से निष्कासित करना अथवा दोनों ही किये जा सकते हैं।
- 17.22 प्रथम समैस्टर/ व फार्मेसी प्रथम वर्ष में पंजीकृत होने के उपरांत उपस्थिति बारे नियम:-
- 17.22.1 बिना आज्ञा अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को पांच रुपये प्रति पीरियड की दर से जुर्माना किया जायेगा।
- 17.22.2 यदि कोई विद्यार्थी 10 कार्यकारी दिन निरन्तर अनुपस्थित रहे तो उसका नाम उपस्थिति रजिस्टर से काट दिया जायेगा। इस प्रकार नाम कटे विद्यार्थी को, सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा यह विश्वास हो जाने पर कि विद्यार्थी की अनुपस्थिति उसके नियन्त्रण से बाहर थी तो सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा उस विद्यार्थी से 1000/- रुपये लेकर उसी समैस्टर में प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी निरन्तर एक महीने से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसका प्रवेश रद्द ( Cancel ) कर दिया जाएगा और इस परिस्थिति में उसे अगले वर्ष उसी समैस्टर में दाखिला दिया जाएगा।
- 17.22.3 यदि कोई विद्यार्थी उपस्थिति की कमी के कारण परीक्षा में बैठने से रोका गया हो, तो उसे दोबारा अगले वर्ष उसी समैस्टर में जिस का कि वह पात्र है, दाखिल किया जा सकता है।
- 17.22.4 प्रोजेक्ट कार्यों की उपस्थितियों की गणना कियात्मक कार्य के अनुरूप ही की जायेगी।
- 17.22.5 पंजीकृत वैद्य/डाक्टर/सरकारी अस्पताल के चिकित्सक/संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया चिकित्सा प्रमाण-पत्र, जिसने कि विद्यार्थी की बीमारी का उपचार किया हो, को ही वैध माना जाएगा। यह प्रमाण पत्र विद्यार्थी को अपनी बीमारी ठीक होने के सात दिन की अवधि के अन्दर-अन्दर प्रधानाचार्य को देना होगा। चिकित्सा अवकाश के कारण अनुपस्थित विद्यार्थी को परीक्षा हेतु उपस्थिति की गणना के लिए छूट की अधिकतम सीमा प्रति समैस्टर/वर्ष Total delivered lectures / practical का पांच प्रतिशत होगी। लेकिन इसमें यह ध्यान

रहे कि कुल छूट (सभी प्रकार की अनुपस्थितियों को मिलाकर के) दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

17.22.6 प्रशिक्षणार्थियों की हड़ताल का समय (Strike Period) Dead Period नहीं गिना जायेगा और न ही उस अवधि की छात्रवृत्ति तथा छात्रावासवृत्ति दी जायेगी।

17.23 Ragging, inside / outside the institution, is an offence. As per the Himachal Pradesh Educational Institutions (Prohibition of ragging) Act-2009, every offence under this ordinance shall be cognizable, non-bailable and compoundable with the permission of court. Any student found indulging in ragging activities directly / indirectly, strict action will be taken against him/her as per law.

**The Anti Ragging Toll Free Help Line Nos' of MHRD (Govt. of India) is 1800-180-5522 (working 24x7) and e-mail address is helpline@antiragging.in**

17.24 Use of mobile phones in the classrooms/labs is strictly prohibited. If any student is found using his mobile phone/i-pod during the class room/lab the penalty @ Rs. 100 shall be charged from the defaulter students for the 1<sup>st</sup> instance and on 2<sup>nd</sup> instance penalty @ Rs. 200 shall be levied and for 3<sup>rd</sup> breach the mobile/i-pod shall be confiscated.

## 18 वर्दी (UNIFORM)

वर्दी के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को निम्नलिखित आदेशों का पालन करना होगा :-

### 18.1 छात्रों के लिए :-

- (क) कार्यशाला और प्रयोगशाला के लिए :-
- (i) सभी विद्यार्थियों को कार्यशाला/प्रयोगशाला में मिलिटो ग्रीन पैन्ट-कमीज संस्थान के लोगो (Logo) सहित पहननी होगी । कार्यशाला/प्रयोगशाला में ढीले कपड़े, चप्पल या सिन्थैटिक फाईबर इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध होगा ।
- (ii) फार्मोसी के छात्र छात्राओं के प्रयोगशाला कार्य के लिए सफेद एप्रन ( White Apron/Coat)
- (ख) सामान्य वर्दी :
- (i) स्काई ब्लू (Sky Blue Filafil) कमीज व ग्रे (Gray) पैन्ट और काले जूते ।
- (ii) सर्दियों में स्काई ब्लू (Sky Blue Filafil) कमीज व ग्रे (Gray) पैन्ट तथा नेवी ब्लू (Navy Blue) ब्लेजर/ स्वेटर और काले जूते ।

### 18.2 छात्राओं के लिए :

- (क) ग्रीष्मकालीन वर्दी : स्टील ग्रे ( Steel Gray ) रंग की कमीज तथा सफेद सलवार और दुपट्टा, काले रंग के जूते, सफेद जुराबें ।
- (ख) शीत कालीन वर्दी : स्टील ग्रे ( Steel Gray ) रंग की कमीज, सफेद सलवार और दुपट्टा, काले रंग की स्वेटर, नेवी ब्लू (Navy Blue) ब्लेजर तथा काले रंग के जूते व सफेद जुराबें ।
- (ग) कार्यशाला के लिए मिल्ट्री ग्रीन लॉन्ग एप्रन (Long Apron) होगा ।
- 18.3 सभी विद्यार्थियों को अपने पहनने के लिए हर समय दो या दो से अधिक वर्दियां रखनी चाहिए । प्रत्येक विद्यार्थी को संस्थान के अलग अलग विभागों में निर्धारित वर्दी में आना आवश्यक होगा ।

## 19. छात्रावास (Hostel)

- 19.1 संस्थान में प्रवेश पाने वाले हर विद्यार्थी को बहुतकनीकी के छात्रावास में स्थान की उपलब्धता के होते हुए, छात्रावास में रहना चाहिए । यदि उसके पास सुरक्षित व्यवस्था हो या वह विद्यार्थी अपने माता/पिता/दादा/दादी या सगे भाई बहनों के साथ रहना चाहते हों तो उनको इस सम्बन्ध में सूचना लिखित रूप से सम्बन्धित प्रधानाचार्य को देनी होगी तथा उनसे छात्रावास का शुल्क नहीं लिया जाएगा । छात्रावास में रहने के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित फार्म जो कि सम्बन्धित प्रधानाचार्य के कार्यालय से उपलब्ध होंगे, को भरकर छात्रावास अधीक्षक को देने होंगे। जो लड़कियां छात्रावास के बाहर रहना चाहती हैं, उन्हें इस बारे प्रधानाचार्य को अपने अभिभावकों से undertaking लिखित रूप में देनी होगी ।
- 19.2 छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को **अध्याय-14.2 के अन्तर्गत दर्शाए गये सभी शुल्क देने होंगे** और छात्रावास के सभी नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। वे पूर्णतया छात्रावास अधीक्षक के अधीन होंगे और उन्हें समय-समय पर अधीक्षक द्वारा लागू किए गए सभी आदेशों का पालन करना होगा।
- 19.3 छात्रावास में उपलब्ध स्थान छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रों की योग्यता के अनुसार दिया जाता है । छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी को कड़ी सजा के रूप में छात्रावास तथा बहुतकनीकी संस्थान से निकाला जा सकता है। छात्रावास के शुल्क बिना सूचना दिए बदले जा सकते हैं।
- 19.4 छात्रावास में उपलब्ध स्थानों पर प्रवेश हेतु आरक्षित एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में आरक्षण अनुसार, समानुपातिक तौर पर बांटा जायेगा।
- 19.5 पेईंग गैस्ट आवास में रहने वाले छात्रों को सम्बन्धित प्रधानाचार्य को उक्त आवास (PG) का पूरा पता देना होगा तथा सुनिश्चित करना होगा कि उक्त आवास हर तरह से सुरक्षित है।
- 19.6 An undertaking will be obtained from the parents/ guardian of hosteller wherein it is mentioned that if their son/daughter is to hospitalized during study they will attend their son/daughter/candidate within twelve hours positively.

## 20. छात्रवृत्तियां (Scholarships)

20.1 प्रदेश के राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में डिप्लोमा कर रहे छात्रों को विभाग के छात्रवृत्ति नियमों के अन्तर्गत सीमित संख्या में छात्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं जो कि पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु वार्षिक आधार पर दी जाती है।

1. The Technical Education Department specific Scholarships will be awarded to the students of Diploma level Courses in Engineering / Technology including Architecture or any other equivalent course approved by All India Council for Technical Education (AICTE).
2. The Scholarship shall be awarded in order of priority on the basis of (i) Poverty-cum-Brilliance and (ii) Brilliance.
3. The Scholarship shall be awarded only for Poverty-cum-Brilliance if the total income of the sources of parents or guardian is not more than Rs 36000/- p.a.
4. The Scholarship shall be awarded strictly according to merit to be determined with reference to (i) Income of parents or guardian and (ii) Marks obtained in the Examination / Class by virtue of which a candidate is eligible for admission provided the students has Secured atleast 60% of marks in the said exam. This condition will however not be applicable to SC, ST and Girls Students.
5. The students who become eligible for scholarships on the basis of poverty-cum-brilliance shall first be awarded scholarships. After their list is exhausted, the remaining scholarships shall be awarded on the basis of brilliance.
6. Only those students shall be eligible for the award of scholarships who are Bonafide Himachali and ward of H.P.Govt.employees.
7. Diploma level courses students including SC and ST will get Rs.200/- p.m.
8. Total nos. of Scholarships for Diploma Courses are 75.
9. 100% Scholarships shall be awarded to the SC, ST and Girls Students in Diploma Courses.
10. In addition to above Scholarships, other Scholarships are also available through the Department of Higher Education for which a separate application has to be submitted to Department of Higher Education.

**Note:** A candidate can avail only one scholarship at a time.

- 20.2 Scholarship @ Rs. 1000/- per month shall be paid by Govt. Polytechnic Sundernagar Alumni Association to two most needy/genuine students. The scholarship however will be subject to the overall performance of the students & shall be discontinued/stopped in case any default or misuse whatsoever may be.
- 20.3 Scholarship @ Rs. 10,000/- per student/year to five meritorious students of Govt. Polytechnic Sundernagar shall be paid by Shri Amba Prasad (Non Resident Indian) as an alumnus of the Institute.

20.4 **Information of AICTE Scholarship are as under:**

(i). **Pragati Scholarship:**

Pragati Scholarship @ 50,000/-per year for 50 girls' students of Himachal Pradesh, pursuing technical diploma in AICTE approved institutions.

(ii). **Saksham Scholarship:**

Saksham Scholarship @50,000/- per year for PWD girls and boys pursuing technical diploma in AICTE approved institutions is granted by AICTE for the Himachal Pradesh students.

(iii) **Swanath Scholarship:**

Under this Scheme Rs. 50,000/- per years shall be granted to orphans, either of wards or both parents died due to Covid-19, wards of Armed forces and centre Paramilitary forces martyred in action pursuing technical degree & diploma in the AICTE approved institution for the Himachal Pradesh students.

## 21. पुस्तकालय तथा वाचनालय

### (Library & Reading Room)

प्रत्येक बहुतकनीकी संस्थान में पुस्तकालय एवं पुस्तक बैंक की सुविधा उपलब्ध है, जिसका नियन्त्रण सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। जिस समय विद्यार्थी बहुतकनीकी संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, उसी समय से जीवन में पहले की अपेक्षा जिम्मेदारियाँ आरम्भ हो जाती हैं। उसे यह दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि जो सुनहरा अवसर उसे मिला है उसी पर उसका भविष्य निर्भर करता है और उसे प्रत्येक क्षण का लाभ उठाना है। संस्थानों में यन्त्रों के प्रयोग के साथ निर्देश एवं प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अध्यापक वर्ग सदैव विद्यार्थियों की हर प्रकार से सहायता करने, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने तथा उचित मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहता है, जिससे कि विद्यार्थियों को लाभ हो। विद्यार्थियों को अपना अध्ययन कार्य निष्ठा एवं सच्ची लगन तथा प्रदेश एवं देश की सेवा एवं समर्पण भाव से करना चाहिए।

निदेशक तकनीकी शिक्षा  
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण  
हिमाचल प्रदेश

Contact Nos. 01907-267426

प्रार्थी द्वारा घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि

(क) मैं, हिमाचल प्रदेश के बहुतकनीकी एवं फार्मसी संस्थान में प्रवेश पाने पर उन सभी अनुशासनिक नियमों एवं विनियमों को जो उस समय लागू होंगे अथवा जो समय समय पर बनाए एवं लगाए जाएंगे, का पूरा -पूरा पालन करूंगा/करूंगी। इस विवरण पुस्तिका में लिखे गए नियमों एवं विनियमों का मैंने पूर्ण अध्ययन किया है। मैं हिमाचल प्रदेश के बहुतकनीकी संस्थान में प्रवेश मिलने की स्थिति में सम्बन्धित प्रधानाचार्य महोदय के निर्णय एवं निर्देशों की पालना करूंगा/करूंगी।

(ख) मैं, संस्थान के अन्दर/संस्थान के बाहर, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर किसी भी किस्म की रैगिंग तथा रैगिंग से सम्बन्धित क्रियाकलापों (Ragging and activities related to ragging) में शामिल नहीं हूंगा/हूंगी और इस बारे सरकार/संस्थान द्वारा समय समय पर जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा उपरोक्त की अनुपालना न करने की स्थिति में मैं देश/प्रदेश में प्रचलित कानून के अनुसार सजा का अधिकारी हूंगा/हूंगी।

स्थान.....  
दिनांक.....

.....  
(प्रत्याशी के हस्ताक्षर)  
प्रत्याशी का नाम.....  
(स्पष्ट शब्दों में)

दिनांक.....

.....  
(पिता/माता/संरक्षक के हस्ताक्षर)  
पूरा नाम.....  
(स्पष्ट शब्दों में)

प्रत्याशी से सम्बन्ध.....

'माता-पिता की मृत्यु पर लागू होगा।

(Suggestive Format)

(स्वतन्त्रता सेनानियों (Freedom Fighters) के बच्चों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....(स्वतन्त्रता सेनानी का नाम) जो कि श्री/कुमारी .....(प्रत्याशी का नाम) सपुत्र / सपुत्री श्री/श्रीमति.....  
 .....(पिता/माता का नाम) का दादा/पिता है तथा ग्राम /नगर .....  
 पंचायत..... गली..... घर न0 ..... डाकखाना ....., तहसील .....  
 .....जिला ....., हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी है, को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानी (Freedom Fighter) घोषित किया गया है तथा पुष्टि में पहचान पत्र (Identity Card ),न0 ..... दिनांक ....., जारी किया गया है।

सम्बन्धित क्षेत्र के सब-डिविजिनल मैजिस्ट्रेट (एस0डी0एम0)  
 के हस्ताक्षर मोहर सहित

स्थान.....

दिनांक .....

कार्यालय की मोहर

(Suggestive Format)

(पिछड़े क्षेत्रों (Backward Areas) से सम्बन्ध रखने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति.....(पिता/माता का नाम) जोकि श्री/कुमारी .....(प्रत्याशी का नाम) का/की पिता/माता है, गांव ..... पंचायत..... डाकखाना ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... हिमाचल प्रदेश का/की मूल निवासी है जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक पिछडा क्षेत्र घोषित किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री / श्रीमति..... द्वारा पांचवीं/आठवीं/ दसवीं परीक्षाओं में से ..... (परीक्षाएं) नियमित छात्र के रूप में..... स्कूल ..... पंचायत..... तहसील..... जिला ..... से पास की जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्र में स्थित है।

स्थान .....

दिनांक .....

सम्बन्धित क्षेत्र के सब डिविजिनल मैजिस्ट्रेट/  
कार्यकारी मैजिस्ट्रेट के कार्यालय की मोहर सहित हस्ताक्षर

नोट:-

1. यह प्रमाण पत्र सम्बन्धित इलाके के एस0डी0एम0/कार्यकारी मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जहां का कि प्रत्याशी का पिता/संरक्षक स्थाई निवासी हो। यह प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया हो न कि प्रतिहस्ताक्षरित।
2. यदि वह स्कूल जहां से प्रत्याशी द्वारा उपरोक्त परीक्षा पास की हो, पिछड़े क्षेत्र में न पड़ कर उसके बिल्कुल साथ लगे हुए क्षेत्र में स्थित हो तो इस बारे में प्रमाण-पत्र में विवरण स्पष्ट तौर पर दिया जाए कि उक्त स्थान Immediately adjoining जब the Notified Backward Areas साथ लगता है जोकि सम्बन्धित इलाके के एस0डी0एम0/ कार्यकारी मैजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो।

(Suggestive Format)

{सैनिक/भूतपूर्वक सैनिकों के बच्चों/आश्रितों से सम्बन्धित वर्ग के अर्न्तगत प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों प्रमाण-पत्र}

प्रमाणित किया जाता है कि आर्मी न० .....रैंक .....श्री/श्रीमति.....  
 .....(पिता/माता का नाम) जो कि श्री/कुमारी ..... (प्रत्याशी का नाम)  
 का/की पिता /माता है तथा गांव/नगर .....डाकघर .....थाना .....  
 , तहसील .....जिला ..... हिमाचल प्रदेश का/ की निवासी है तथा .....  
 ..... (रैंजिमेंट/बटालियन का नाम), में दिनांक ..... से ..... तक  
 सेवा की है/सेवा कर रहा है।

(निम्न सूचना सेवा काल मे मृत्यू /अपंगता होने अथवा वीरता पुरस्कार मिलने की स्थिति में ही भरी जाए)

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आर्मी न० ..... रैंक .....श्री/श्रीमति .....  
 ..... (पिता/माता का नाम)

(1)वर्ष ..... में ..... युद्ध/कार्यवाही के दौरान शहीद हो गए थे ।

(2)वर्ष .....में ..... युद्ध/कार्यवाही के दौरान अपंग हो गए थे तथा तदानुसार/ फलस्वरूप  
**(Medically Board Out)** घोषित किए गए।

(3)वर्ष ..... के दौरान सेवारत स्थिति में शान्ति कालीन समय में मिलिट्री सेवा से सम्बन्धित कारणों  
 से स्वर्ग सिंघार गए **(Death attributable to Military Service)**

(4)वर्ष..... के दौरान सेवारत स्थिति में शान्ति कालीन समय में मिलिट्री सेवा से सम्बन्धित कारणों से  
 अपंग हो गए तथा तदानुसार **(Medically Board Out)**घोषित किए गए **(Disability attributable जव  
 Military Service )**

(5) वर्ष .....के दौरान ..... युद्ध/कार्यवाही/वीरता के असाधारण कार्य हेतु उन को .....  
 वीरता पुरस्कार **(Gallantary Award)** से अलंकृत किया गया ।

स्थान.....

दिनांक.....

राज्य/जिला सैनिक बोर्ड के सचिव/  
 कार्यालय की मोहर सम्बन्धित कमांडिंग  
 आफिसर के कार्यालय की मोहर तथा तिथि  
 सहित हस्ताक्षर ।

नोट :- उपरोक्त कम संख्या (1) से (5) के अनुसार वांछित सूचना ध्यानपूर्वक भरें तथा जो कम संख्या  
 अनावश्यक हो उसे पूर्णतः काट दिया जाए ताकि प्रमाण पत्र का किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके।

## स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रमाण-पत्र Medical Certificate (Suggestive)

(नोट:-यह प्रमाण पत्र केवल दाखिले के समय प्रस्तुत करना होगा।)

मैं, डाक्टर..... (नाम तथा पदवी) सिविल अस्पताल .....प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने श्री/ कुमारी..... जिसका फोटो मैंने सत्यापित (Attested) किया है, का निरीक्षण भली प्रकार किया है और उसमें एसी कोई शारीरिक कमी नहीं है जो उसे हिमाचल प्रदेश के बहुतकनीकी एवं फार्मैसी संस्थानों में एवं राज्य से बाहर के बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश पाने हेतु, निर्धारित स्तर के अनुसार किसी प्रकार बाधित हो । मैं आगे सूचित करता /करती हूँ कि :-

1. इसकी उचाई..... मीटर है ।
2. इसका भार ..... किलोग्राम है ।
3. इसकी आंखें ..... प्रतीत होती हैं ।
4. वह ऐनक लगाता/लगाती है..... नहीं लगाता/लगाती है  
दाईं आंख..... निकट दृष्टि ..... दूर दृष्टि.....  
बाईं आंख..... निकट दृष्टि ..... दूर दृष्टि.....
5. इसकी दृष्टि निर्धारित स्तर के अनुसार है ।
6. इसका हृदय व छाती दृढ़ है ।
7. Blood Group.....
8. इसको कोई एसी बीमारी या दिमागी अस्थिरता नहीं है जो कि इसको इस समय या निकट भविष्य में अभियन्ता के रूप में फील्ड ड्यूटी के अयोग्य बनाने की सम्भावना रखती है तथा न ही किसी भी प्रकार के संसर्गजन्य अथवा संक्रामक रोग से पीड़ित है ।

पहचान के निशान ..... अतः प्रत्याशी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार हिमाचल प्रदेश बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश के योग्य है ।

आवेदक के अंगूठे का निशान

.....  
(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का पासपोर्ट नाप का फोटो जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने वाले स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सत्यापित किया होना चाहिए।



स्थान : .....

स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर  
(पदवी तथा अस्पताल की मोहर)

दिनांक : .....

कार्यलय मोहर

स्वास्थ्य प्रमाण हेतु आवश्यक निर्देश


1. प्रत्याशी का पासपोर्ट नाप का फोटो जोकि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने वाले स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सत्यपित किया होना चाहिए।
2. यह प्रमाण पत्र उस अधिकारी से अनुप्रमाणित होना चाहिए जो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित के स्तर से कम न हो।
3. स्वास्थ्य अधिकारी को अपने हस्ताक्षर एवं मोहर फोटो के उपर लगानी चाहिए।
4. यह सर्टिफिकेट प्रवेश पत्र के साथ नहीं भेजा जाना चाहिए बल्कि प्रत्याशी अपने पास रखें और दाखिले के समय प्रस्तुत करें।
5. दृष्टि में रंगो का अन्धापन नहीं होना चाहिए।
6. सुनने की शक्ति ठीक हो।
7. वह किसी संसर्गजन्य अथवा संक्रामक रोग से पीडित न हो।

**MEDICAL CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAPPED CANDIDATES.**

Certified the We, Dr..... Dr.....and Dr..... as members of District level Medical Board have thoroughly examined on..... Sh/ Kumari..... S/O or D/O Shri/Smt.....on..... day of ..... year .....

**The applicant, whose particulars are given below:-**

1. Name of candidate Shri/Miss .....
2. Age/Sex .....
3. Father's/ Mother's Name Shri /Smt.....
4. Address.....  
.....
5. Identification Mark.....
6. (a) Nature of Disability.....  
(b) Extent of Disability.....  
(c) Limbs Effected .....
- (d) Use of Appliance, if any .....  
(such as callipers. crutch etc.)  
(e) Whether suffering from venereal or any epidemic disease
7. Any other particular to clarify the nature and extent of Disability that the Medical Board might like to point out.
8. Blood Group .....



(Photo to be attested by a member of the medical board with Signatures, date and office stamp)

Signature of Candidate .....

.....  
Signature of Member of Board

.....  
Signature of Member of Board

.....  
Signature of Member of Board

Designation.....

Designation.....

Designation.....

Stamp

Stamp

Stamp

Date.....

**Note:** This certificate is to issued by a Medical Board at the district level constituted in accordance with the provisions contained in letter No. 5-7/88-wel-ah, dated 23.03.1989 of Director of Social and Women's Welfare, Himachal Pradesh, Shimla. (or as amended from time to time) consisting of the following members:-

The Chief Medical Officer/Sub-Divisional Medical Officer in the District and an expert in the specified Field i.e. Orthopaedic Surgeon etc.

SUGGESTIVE CERTIFICATE OF SPONSORSHIP

(to be enclosed by departmental candidates only)

Certified that Sh./Smt.\_\_\_\_\_son/daughter of Shri/ Smt.\_\_\_\_\_has been working as\_\_\_\_\_on regular whole time basis in\_\_\_\_\_(Department) since\_\_\_\_\_(date). His / Her name is hereby sponsored for admission to three/two years Diploma Course of\_\_\_\_\_Engineering in Govt. Polytechnics in Himachal Pradesh for Academic Session\_\_\_\_\_. In case he / she is selected for admission he / she will be relieved of his / her duty and allowed to join the classes for full duration of the said course. If he / she leaves this Department / Organisation during his / her period of study the institution will be informed accordingly to cancel his / her admission.

Date \_\_\_\_\_

Signature and seal of the Employer

**List of Sports events/games which are recognized by the Sports Department/State Government for the purpose of granting benefits of reservation to the seats under sports category.**

Sr. No.	Name of the events/Games
1.	Archery
2.	Athletics (Track and event)
3.	Atya/Patya
4.	Badminton
5.	Ball Badminton
6.	Basketball
7.	Billiards & Snooker
8.	Boxing
9.	Bridge
10.	Carrom
11.	Chess
12.	Cricket
13.	Cycling
14.	Equestrain sports
15.	Football
16.	Golf
17.	Gymnastics (Including body-building)
18.	Handball
19.	Hockey
20.	Judo
21.	Kabaddi
22.	Karate-Do
23.	Kayaking & Canoeing
24.	Kho-Kho
25.	Polo
26.	Power Lifting
27.	Rifle Shooting
28.	Roller Skating
29.	Rowing
30.	Softball
31.	Squash
32.	Swimming
33.	Table tennis
34.	Taekwando
35.	Tenni-Koit
36.	Tennis
37.	Volleyball
38.	Weightlifting
39.	Wrestling
40.	Yatching
41.	Winter Sports
42.	Wushu
43.	Korfball

**Categories of Tournaments:** The Tournaments are categorized as per Notification No. YSS-F(10)-1/2021-Loosed dated 11<sup>th</sup> March, 2022 in decreasing order as below:

**The various sports competitions will be classified as follow:-**

Sr. No.	Tournament	Organizing Body
<b>1.</b>	Olympics	International Olympic Committee (IOC)
	Paralympics	International Paralympics Committee (IPC)
<b>2.</b>	4-Years World Championship (Restricted to Sports disciplines played in Olympics/Para Paralympics)	International Federation of concerned game, recognized by International Olympic Committee (IOC) or International Paralympics Committee (IPC)
<b>3.</b>	Asian Game	Olympic Council of Asia (OCA)
	Para Asian Games	Asian Paralympic Committee (APC)
	Youth Olympics	International Olympic Committee (IOC)
<b>4.</b>	Common Wealth Games	Commonwealth Games Federation (CGF)
	Commonwealth Games (Para Athletes)	
	Youth Asia Games	Olympic Council of Asia (OCA)
<b>5.</b>	Other World/International Championships, World Youth Games	International Federation of the concerned game, recognized by the International Olympic Committee (IOC)/Olympic Council of Asia (OCA)
	Youth Commonwealth Games	Commonwealth Games Federation (CGF)
	Deaflympics	International Committee of Sports for the Deaf (Only those recognized by International Olympic Committee (IOC)
	Special Olympics	Only those which are recognized by International Olympic Committee (IOC)
	IPC World Cup/Championship (Held annually or biennially)	International Paralympics Committee (IPC)
	IBSA World Championship	International Blind Sports Federation (IBSF)
<b>6.</b>	World University Games	International University Sports Federation (IUSF).

<b>7.</b>	Other Asian/Commonwealth Championship	Asian Federation of the concerned game affiliated to the Olympic Council of Asia (OCA)/ International Federation (IF) Commonwealth Games Federation (CGE)
<b>8.</b>	SAF Games	South Asian Games Federation (SAGF)
<b>9.</b>	International Cricket Tournament/One day Tournament	International Council of Cricket Federation (ICCF)/Board of Cricket Control India (BCCI)
	Blind Cricket World Cup (Held in 4 years)	World Blind Cricket Council (WBCC)
<b>10.</b>	National Games	Indian Olympic Association (IOA)
<b>11.</b>	National Championship	National Federation Affiliated to Indian Olympic Association (IOA)/Ministry of Sports & Youth Affairs (MYAS), Govt. of India.
<b>12.</b>	National School Games/Khelo India/All Inter University Games/All India Women Sports/All India Rural Sports etc.	School Games Federation of India (SGFI)/Association of India Universities (AIU)/Ministry of Sports & Youth Affairs (MYAS), Govt. of India.
<b>13.</b>	State Games/State Women Sports/State School/State Rural & Panchayats State Inter-University	Himachal Pradesh State Sports Association recognized by the concerned National Federation affiliated to IOA/Department of Youth Services & Sports, H.P./Education Department/Himachal Pradesh University.

**DETAILS OF FACILITATION CENTRES (FCs)**

<b>Sr No</b>	<b>Name and Address of the Institute</b>	<b>Contact Numbers</b>
1.	Govt. Polytechnic Sundernagar, Distt. Mandi H.P.	01907-266778
2.	Govt. Polytechnic Hamirpur, Distt. Hamirpur H.P.	01972-258509
3.	Govt. Polytechnic Rohru, Distt. Shimla H.P.	01781-240102
4.	Govt. Polytechnic for Women Kandaghat, Distt. Solan H.P.	01792-256179
5.	Govt. Polytechnic Kangra, Distt. Kangra H.P.	01892-265025
6.	Dr. B. R. Ambedkar Govt. Polytechnic Ambota, Distt. Una H.P.	01976-242222
7.	Govt. Millenium Polytechnic Chamba, Distt. Chamba H.P.	01899-223698
8.	Rajiv Gandhi Govt. Polytechnic Banikhet, Distt. Chamba H.P.	01899-254500
9.	Govt. Polytechnic Talwar (Jaisinghpur), Distt. Kangra H.P.	01894-227009
10.	Atal Bihari Vajpayee, Govt. Institute of Engineering & Technology (Polytechnic) Pragtinagar, Distt. Shimla H.P.	01783-253919
11	Govt. Polytechnic Paonta Sahib, Village & P.O. Dhaula Kuan, Tehsil Ponta Sahib, Distt. Sirmour (HP)	01704-203263
12	Govt. Polytechnic Kullu at Seo-Bag, Distt. Kullu (HP)	01902-230006
13	Param Veer Chakra Naib Subedar Sanjay Kumar, Govt. Polytechnic Bilaspur, Vill & P.O. Kalol, Tehsil Jhanduta, Distt. Bilaspur ( H.P.)	01978-262262
14	Govt. Polytechnic Kinnaur Distt. Kinnuar (HP) at Govt. Polytechnic Rohru	01781-240102
15	Govt. Polytechnic, Lahaul Spiti at Govt. Polytechnic Sundernagar	01907-266411
16	Govt. Polytechnic for Women at Rehan, Distt. Kangra, H.P.	01893-252777
17	Govt. Polytehnic Janduar	94180-37478 82193-37285
<b>Detail of ITIs</b>		
<b>Bilaspur</b>		
1	Govt. ITI Berthin	01978-267229
2	Govt. ITI Bharari (W)	01978-273110
3	Govt. ITI Bilaspur	01978-224774
4	Govt. ITI Ghumarwin	01978-254317
5	Govt. ITI Shri Naina Devi Ji	01978-288001
6	Govt. ITI Swarghat	01978-284131
<b>Chamba</b>		
7	Govt. ITI Bharmour	01895-225487
8	Govt. ITI Chamba	01899-222285
9	Govt. ITI Garnota	01899-265476
10	Govt. ITI Lachori	01896-200816
11	Govt. ITI Pangi at Killar	01897-242222
12	Govt. ITI Tissa at Koti	01896-200882
<b>Hamirpur</b>		
13	Govt. ITI Bani	01972-289896
14	Govt. ITI Bhoranj	01972-265988
15	Govt. ITI Hamirpur	01972-222609

16	Govt. ITI Lambloo	01972-248586
17	Govt. ITI Nadaun at Rail	01972-236563
18	Govt. ITI Sujanpur	01972-273044
	<b>Kangra</b>	
19	Govt. ITI Baijnath	01894-262099
20	Govt. ITI Baroh	01892-266773
21	Govt. ITI Dadasiba	01970-289006
22	Govt. ITI Daulatpur	01892-268032
23	Govt. ITI Dhameta	01893-254857
24	Govt. ITI Dharamshala	01892-223182
25	Govt. ITI Gangath	01893-275699
26	Govt. ITI Garhjamula at Inderpuri	01894-224077
27	Shaheed Surinder Singh Govt. ITI Jawali	01893-264042
28	Govt. ITI Khundian	01970-272140
29	Govt. ITI NagrotaBagwan	-
30	Govt. ITI Nehranpukhar	01970-268139
31	Govt. ITI Nurpur	01893-221232
32	Govt. ITI Palampur	01894-231175
33	Govt. ITI Saliana	01894-284041
34	Govt. ITI Shahpur	01892-238023, 237234
35	Govt. ITI Talwar at Lahru	01894-271037
	<b>Kinnaur</b>	
36	Govt. ITI ReckongPeo	01786-222215
	<b>Kullu</b>	
37	Govt. ITI Dalash	01904-257468
38	Govt. ITI Kullu	01902-225006
39	Govt. ITI Manali at PatliKuhl	01902-241009
40	Govt. ITI Nirmand	01904-255900
41	Govt. ITI Sainj	01903-220005
42	Govt. ITI Shamshi	01902-260692
	<b>Lahul&amp;Spiti</b>	
43	Govt. ITI Rong-Tong	01906-222301
44	Govt. ITI Udaipur	01909-262265
	<b>Mandi</b>	
45	Govt. ITI Bhadrota	01905-271100
46	Govt. ITI (PWD) Sundernagar	01907-262083, 262084
47	Govt. ITI Bagsaid	01907-254454
48	Govt. ITI Balh	01905-241034
49	Govt. ITI Batail	01905-256901
50	Govt. ITI Chachiot	01907-250444
51	Govt. ITI Dehar	01907-283080
52	Govt. ITI Jogindernagar	01908-222578
53	Govt. ITI Karsog	01907-222440
54	Govt. ITI Kotli	01905-281281
55	Govt. ITI Mandi	01905-235544
56	Govt. ITI Mohin	01905-250034
57	Govt. ITI Paplog	-
58	Govt. ITI Sandhole	01905-274949
59	Govt. ITI Thalout	01905-228228
	<b>Shimla</b>	
60	Govt. ITI Chirgaon	01781-277937
61	Govt. ITI Chopal	01783-260766
62	Govt. ITI Dargi	0177-2798997
63	Govt. ITI Jalog	0177-2004186
64	Govt. ITI Jubbal	01781-252044
65	Govt. ITI Junga	0177-2752557
66	Govt. ITI Khandhan	-
67	Govt. ITI Kumarsain	01782-241055
68	Govt. ITI Mashobra	0177-2740881

69	Govt. ITI Pragatinagar	01783-253919
70	Govt. ITI Rampur Bushahar	01782-233149
71	Govt. ITI Shimla	0177-2830983
72	Govt. ITI Sunni	0177-2786949
73	Govt. ITI Theog	01783-238030
74	Govt. ITI Tikkar	-
	<b>Sirmaur</b>	
75	Govt. ITI Bogdhar	01702-200020
76	Govt. ITI Kaffota	01704-273472
77	Govt. ITI Nahan	01702-222319
78	Govt. ITI Paonta Sahib	01704-222344
79	Govt. ITI Rajgarh	01799-200070
80	Govt. ITI Sarahan	01799-236044
81	Govt. ITI Shillai	01707-278566
	<b>Solan</b>	
82	Govt. ITI Arki	01796-220101
83	Govt. ITI Deegal	01795-278720
84	Govt. ITI Doon at PattaMehlog	01792-282420
85	Govt. ITI Kasauli	01795-261060
86	Govt. ITI Krishangarh (Kuthar)	01792-284531
87	Govt. Model ITI Nalagarh	01795-223220
88	Govt. ITI Solan	01792-223753
89	Govt. ITI Syri	01792-288288
	<b>Una</b>	
90	Govt. ITI Bangana	01975-262766
91	Govt. ITI Chintpurni at Nehrian	01976-263526
92	Govt. ITI Gagret at Bhaderkali	01976-200977
93	Govt. ITI Pubowal	-
94	Govt. ITI Santoshgarh	01975-256299
95	Govt. ITI Una	01975-223203

## CHECK LIST

## DOCUMENTS TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF ADMISSION

- हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सम्बन्धित वर्ष की बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा (PAT-2025) / लेट्रल एंट्री प्रवेश परीक्षा (LEET-2025) की अंक तालिका एवं प्रवेश पत्र तथा डी0 फार्मैसी हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र ।
- जन्म तिथि के प्रमाण हेतु बोर्ड / स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु बोर्ड / यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।
- हिमाचल प्रदेश का Bonafide/Domicile होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- आरक्षित वर्ग व उपवर्ग के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उस वर्ग/उपवर्ग से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।
- हि. प्र. में कार्यरत सैनिकों के बच्चों को उनके माता या पिता के हिमाचल प्रदेश में कार्यरत होने बारे कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- Tuition Fee Waiver Scheme (TFW) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु सभी स्रोतों से प्राप्त आमदनी (Income from all sources) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु सभी स्रोतों से प्राप्त आमदनी (Income from all sources) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- बेटी है अनमोल योजना में प्रवेश हेतु अभिभावक द्वारा एक पुत्री होने की undetaking ।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विधवा होने का प्रमाण पत्र ।
- स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और यदि पिछली स्कूली शिक्षा के बाद की अवधि के बीच में अंतर हो तो Self attested undertaking जिसमें यह लिखा हो की छात्र/छात्रा किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त नहीं है ।
- आधार कार्ड की प्रतिलिपि ।
- बैंक अकाउंट नम्बर और आई0एफ0एस0सी0 नम्बर ।
- घोषणा पत्र परिशिष्ट-। के अनुसार।
- स्वास्थ्य सम्बन्धित (Medical Fitness) प्रमाण पत्र ।
- Selection letter/offer letter of the applicant.

LIST OF THREE YEAR DIPLOMA COURSES AS EQUIVALENT WITH 10+2 IN ARTS STREAM FOR THE PURPOSE OF HIGHER EDUCATION AND EMPLOYMENT IN VARIOUS DEPARTMENTS OF THE STATE OF HIMACHAL PRADESH

<b>Sr. No.</b>	<b>Name of Course</b>	<b>System</b>	<b>Duration of Course</b>
<b>1.</b>	Civil Engineering	Semester	Three year diploma
<b>2.</b>	Mechanical Engineering	Semester	Three year diploma
<b>3.</b>	Electrical Engineering	Semester	Three year diploma
<b>4.</b>	Automobile Engineering	Semester	Three year diploma
<b>5.</b>	Electronics & Communication Engineering	Semester	Three year diploma
<b>6.</b>	Computer Engineering or Computer Science & Engineering	Semester	Three year diploma
<b>7.</b>	Instrumentation Engineering	Semester	Three year diploma
<b>8.</b>	Information Technology	Semester	Three year diploma
<b>9.</b>	Architectural Assistantship	Semester	Three year diploma
<b>10.</b>	Fashion Designing	Semester	Three year diploma
<b>11.</b>	Hotel Management & Catering Technology	Semester	Three year diploma
<b>12.</b>	Electrical & Electronics Engineering	Semester	Three year diploma

Sr. No.	Major Disciplines in Diploma	Mandatory Courses for admission under Lateral Entry Scheme	Other relevant course(s) for this discipline.
1.	Architecture	No admission	NA
2.	Pharmacy		
3.	Automobile Engineering	Phy. Chem, Math	NA
4.	Civil Engineering		
5.	Instrumentation Engineering		
6.	Mechatronics		
7.	Mechanical Engineering		
8.	Computer Engineering	Phy. Math	For remaining single course select any from Chemistry/Computer Science/Electronics/Information Technology/Biology/Informatics / Practices/Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture /Engineering Graphics/Business studies/Entrepreneurship.
9.	Computer Science & Engineering		
10.	Computer Engineering & IOT		
11.	Information Technology		
12.	Electrical Engineering		
13.	Electrical & Electronics Engineering.		
14.	Electronics & Communication Engineering		